खण्ड-267, अंक-3
बुधवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1888
(20 जुलाई, 1966 ई0)

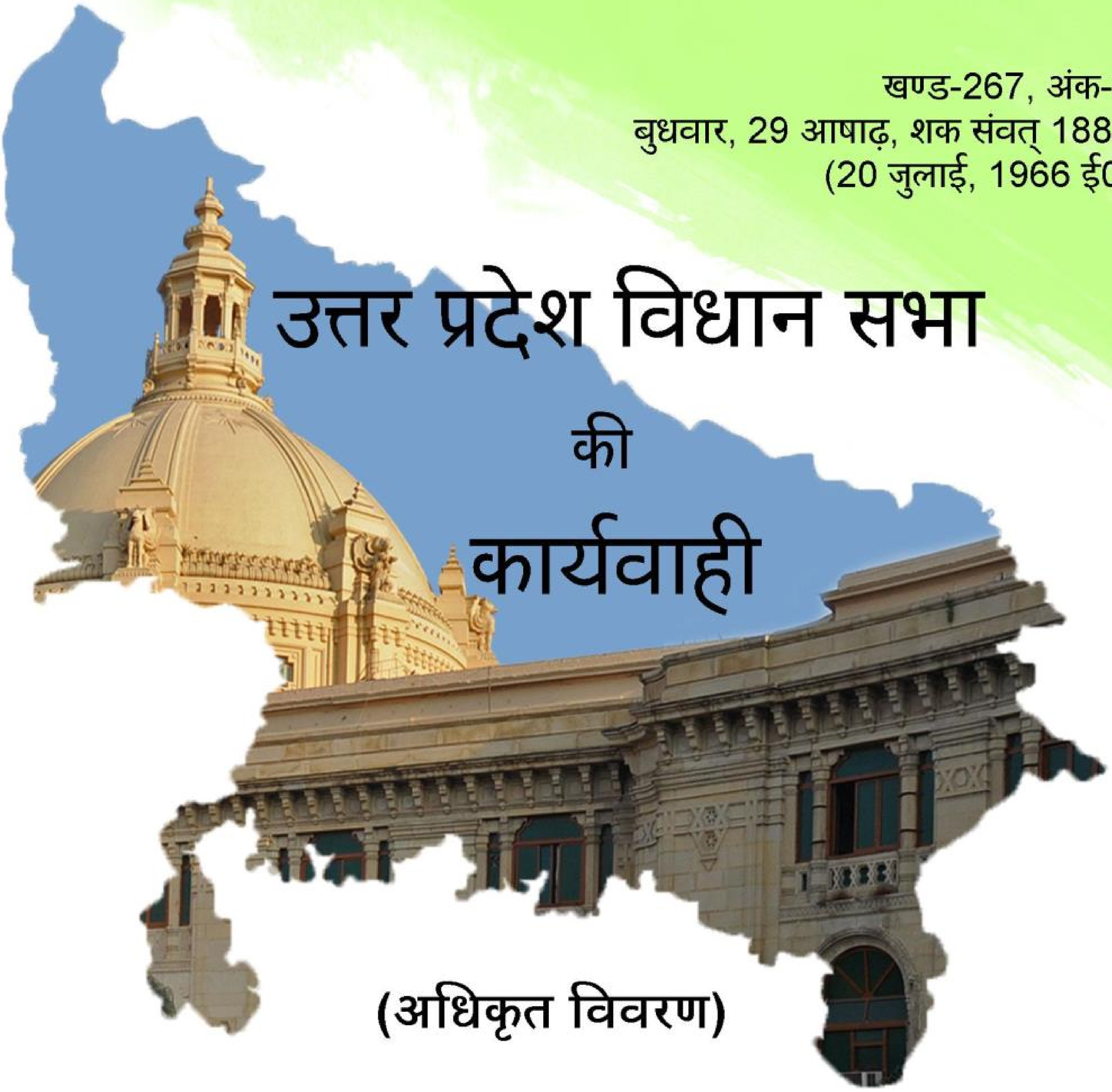

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 267 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४९–१५२
सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल की मांगें	१५३–१५७
प्रश्नोत्तर	१५७–१८३
प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति	१८३–१८५
श्री राधेश्याम शर्मा के कारावासित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	१८५
सुचारुरूप से सदन की कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	१८५–१८८
कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	१८८–१९८
सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान कार्यालय में पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	१९८–२००
प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया)	२००–२०५
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	२०५–२०७
नत्थी	२०८–२०९

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार , २० जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवैद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्ण चन्द्र श्री,
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
खयालीराम , श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल श्री, (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेद लाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झिलमिल राम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देव दत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोतम लाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैयवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामप्रचार कन्नौजिया, श्री
रामप्रधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामप्रवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामजीलाल सहाय, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलमझावन, श्री
रामसिंह श्री, (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामनारायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुम सिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रमशाह राजा,
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शालभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हीतोलाल अग्रवाल, श्री
हीरोलाल यादव, श्री

नोट—माल मंत्री, श्री हुकुमसिंह बिसेन भी उपस्थित थे।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने के संबंध में नेता विरोधी दल की मांगें

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है। अभी परसों सरकारी कर्मचारियों के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा था। हाई कोर्ट बन्द है, कचहरियां बन्द हैं, और सचिवालय बन्द है। सारे राज्य का कार्य ठप है। हम समझते थे कि सरकार की पद्धति कुछ सुधरेगी और ऐसे कदम सरकार उठायेगी जिस से कि शान्ति का वातावरण पैदा होगा। ऐसा न हो कर, श्रीमन्, कल पी० डब्लू० डी० के दफ्तर में, खासकर उसके कम्पाउन्ड में सरकार ने पुनः लाठी-चार्ज किया। बजाय इसके कि स्थिति सम्हले यह बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही है। ऐसी स्थिति का सरकारी कोष पर क्या असर पड़ रहा है, इसको भी देखें। लगभग ३६ हजार रुपया प्रति दिन खर्च हो रहा है। लगभग ४ करोड़ के करीब बसों के बन्द होने के नाते सरकार पर भार पड़ रहा है और सचिवालय कार्य नहीं कर रहा है जिस से लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार कोई बुद्धिमत्ता पूर्ण कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति को बजाय इसके कि सम्हले सरकार ने एम. एल. एज. को भी बन्द कर दिया और सरकार ऐसा कोई कदम उठाये जिस से सचिवालय का कार्य चालू हो और सारे प्रांत में कार्य चालू हो इसके लिये मैं तीन सुझाव रखता हूं और मेरी प्रार्थना है कि आज का कार्य प्रारम्भ करने के पहले सरकार इन तीनों मांगों को माने और उन पर विचार करे। पहली बात तो यह कि १४ तारीख को जो लाठी चार्ज और १५ को जो लाठी चार्ज हुआ और १६ को जो लाठी चार्ज हुआ, तीनों के बारे में जुडिशियल इंक्वायरी हो। यह मैं इसलिये कहता हूं कि ताकि उनके मस्तिष्क का वातावरण ऐसा हो कि उनके प्रति कुछ किया जा रहा है। दूसरी चीज यह कि जो बड़ी साधारण डिमांड है, मिस्टर के० के० दास जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनकी आज्ञा से सारे लाठी चार्ज हुये, जिनके परामर्श से जो कुछ भी कुप्रभाव पड़ रहा है, जो कुछ भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा हो रहा है, पुलिस द्वारा हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, इनकी विशेष आज्ञा से हो रहा है क्योंकि इस समय मंत्रि-मंडल बिल्कुल निकम्मा है। उन्हीं की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है और इस वक्त सरकार....

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहस तो हो चुकी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

तो इसलिये उनको अपने पद से हटाया जाय। किसी जगह जायं, यहां न रहें। तीसरी बात यह है, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कोई बदले की भावना नहीं रहनी चाहिये। सरकारी कर्मचारी जितने कार्य पर आयें उनके ऊपर मुकदमा चलाने की (व्यवधान) हां, अगर बाद में किसी को दोषी पाया जाय तो जो मुनासिब समझा जाय वह किया जाय। पहले इसका जवाब दे दें क्योंकि प्रदेश में शान्ति नहीं रह सकती। हम सब प्रदेश के प्रति जिम्मेदार हैं। आज हम बैठकर असेम्बली में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।....

श्री अध्यक्ष--

यह तीसरी बात आपने क्या कही ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

तीसरी बात मेरी यह थी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर बदले की भावना से कोई कार्य न किया जाय। यदि वे कार्य करने आयें तो उनको बिना किसी बदले की भावना के कार्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

करने दिया जाय। उन पर जो कुछ भी कार्यवाही आजकल हो रही है वापस ली जाय। हां, यदि कोई दोष का भागी पाया जाय तो उस पर विचार करें और उसके लिये एक अलग कमेटी बैठे, जांच करने के लिये कि किसका कसूर था।

श्री अध्यक्ष---

तीसरी बात आपकी यह है कि अगर कोई कर्मचारी वापस आये तो विक्टिमाइजेशन न हो। यह मतलब है न ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हां, लेकिन ऊपर की दोनों मांगें मानने के बाद यह वातावरण पैदा होगा, क्योंकि एक भी बात नहीं मानी जाती है। जहां चार आदमी इकट्ठा हो जाते हैं वहीं लाठी प्रहार हो जाता है। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जो चार आदमियों के बीच में खड़े हुये थे और बाहर निकल रहे थे। सिपाहियों ने कहा कि यहां पर पांच आदमी क्यों खड़े हैं ? हम पूछते हैं कि यह क्या स्थिति है ? यह कोई खेल है ? यह वातावरण हो गया है....

श्री अध्यक्ष---

आप क्या चाहते हैं ? मैं इस विषय को प्रश्नों के बाद ले लूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैं चाहता हूं कि असेम्बली का कार्य करके हम क्या करेंगे ? आज कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो कर या तो माननीय मुख्य मंत्री या कोई सरकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति अपने विचार इस स्थिति पर व्यक्त करे वरना क्या फायदा है, हम लोगों का असेम्बली में बैठने से ? सरकार का राज्य ठप हो गया है आज चारों ओर गड़बड़ी फैल गई है....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठेंगे तो मैं सरकार से पूछूंगा। सरकार को क्या कुछ कहना है ?

श्री बनारसीदास (सहकारिता मंत्री)---

श्रीमन्, वास्तव में स्थिति खेदजनक है लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न सदन में उपस्थित किया है उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है और सरकारी कर्मचारी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

देखिये, अगर आप लोग इस में सुनना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि (व्यवधान)। आप लोग खामोश रहिये। आप क्यों शोर मचाते हैं ? आपके नेता ने कहा है कि हम बैठते हैं, हम सुनना चाहते हैं सरकार को। तो फिर आप लोग सरकार को सुन लीजिये। आप कुछ तो कीजिये, कोई जनतांत्रिक पद्धति को अपनाइये। (व्यवधान)

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, चीफ सेक्रेटरी यहां सदन के सदस्य नहीं हैं, सदन में उपस्थित नहीं हैं। चीफ सेक्रेटरी तो सरकारी नीति को कार्यान्वित करने के लिये यंत्रमात्र हैं। उनके ऊपर आरोप करना या प्रहार करना, मैं समझता हूं कि यह इस आदरणीय सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। सरकार की ओर से जो निर्णय किया गया है और उनके ऊपर जो अमल किया गया है उसके लिये सरकार जिम्मेदार है। सरकार का कोई इरादा रिडिक्टिव होने का नहीं है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी ज्वाइन करना चाहें वे कर सकते हैं। अभी लाठी प्रहार का पी० डब्लू० डी० के बारे में जिक्र किया गया है। इसके लिये नोटिस आपके पास में आया है। सकी सूचना जिस समय होगा....

श्री अध्यक्ष--

खैर, वह तो दूसरी बात है। जो मांग थी उसके बारे में.....(व्यवधान)।

श्री बनारसीदास--

इसके बारे में कहना कठिन है। लेकिन जो विरोधी दल के नेता ने कहा उसका मतलब यह है कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं सरकार उनके सामने झुके, जहां एक प्रकार से शासन को दलित कर देना है और अराजकता को बढ़ावा देना है। लोग समझते हैं और चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर अशान्ति हो और अराजकता फैले, लेकिन सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी और विरोधी दलों की हरकतों के सामने करेगी और उसके सामने हरगिज नहीं झुकेगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

अगर इस तरह से हर जगह लाठी चार्ज होगा तो मेम्बर भी खड़े होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं आपके जरिये इस सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में साधारण स्थिति नहीं है, एकदम असमान्य और अशान्तिमय स्थिति है और उत्तर प्रदेश में और असामान्य स्थिति ज्यादा हो जाये तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह असमान्य स्थिति को साधारण स्थिति में लाने के लिये कार्यवाही करे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूं कि इस सदन में बैठकर दो दिनों तक लगातार राज्य कर्मचारियों पर जो लाठी चार्ज हुआ उसके फलस्वरूप आज प्रदेश की स्थिति बिगड़ गयी है सारे विभागों में हड़ताल चल रही है, इस से कोई भी विभाग अछूता नहीं बचा है। सारे प्रदेश के लोग इच्छुक हैं कि राज्य कर्मचारियों पर जो अमानुषिक ढंग से १४ व १५ तारीखों को लाठी चार्ज हुआ और पी० डब्लू० डी० के कार्यालय के अहाते में घुसकर कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया....

(व्यवधान)

अनेक सदस्य--

"इसको रोकिये", "इसको रोकिये"।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, आप बैठिये, जो आप कह रहे हैं, ठीक नहीं है। शोर हो रहा है। आप बैठ जाइये। आपको बोलने की इजाजत नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(वक्ता के बराबर बोलते रहने तथा सदन में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नहीं बैठेंगे तो मुझे विवश हो कर-----आप कृपा करके बैठ जाइये। बैठ तो जाइये। मैं एक बात बता दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आप मेरी बात सुन लीजिये, मेरा निवेदन आप सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष--

जो तीन दिन से यहां बहस हो रही है...आप बैठिये जरा।

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]

आप इस बात को ले कर जो .....

अनेक सदस्य--

आप असेम्बली बन्द कर दीजिये, अराजकता प्रदेश में फैल गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग कृपया बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह प्रश्न नहीं हो सकते, कार्यवाही नहीं हो सकती, यह मैं सजस्ट कर रहा हूं। (व्यवधान) आप सुनिये शान्ति के साथ।

श्री अध्यक्ष--

आप बताइये।

एक सदस्य--

कार्यवाही तो होगी।

श्री लखपतराम शर्मा--

यह डिक्टेटर कौन है ?

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

इनको निकालिये हाउस से ?

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। हां, कह दीजिये। इनको कह लेने दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं यह निवेदन कर रहा हूं और आप से व्यवस्था चाहता हूं, आपने कल ही कहा था कि सदन की कार्यवाही संतोषजनक ढंग से नहीं हो रही है। मैं आपका ध्यान नियमावली के पृष्ठ ८४ पर नियम ३०३ सभा की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन के खंड (१) तथा (२) उपस्थित कर रहा हूं--

"(१) सचिव सभा के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेगा तथा उसको ऐसे रूप में और ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें, प्रकाशित करायेगा।"

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके यह बता दें कि आपका मंतव्य क्या है ?

श्री लखपतराम शर्मा--

मेरा मंतव्य यह है कि विधान सभा की कार्यवाही तब तक चल नहीं सकती जब तक आप इस धारा को सस्पेंड न कर दें और तब तक आप को इस प्रकार की कार्यवाही चलाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ३०३ तो कार्यवाही लिखने और रिपोर्ट के बारे में है।

श्री लखपतराम शर्मा—

पढ़ तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

इसमें आगे खासतौर से लिखा है—

"(२) ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि ६ सप्ताह के भीतर सचिव द्वारा सभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यपाल को भेजी जायेगी।"

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो आप चाहते क्या हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, इसके अन्दर "भेजी जायगी" और "करायेगा" शब्द साफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने स्वयं कहा था कि विधान सभा की कार्यवाही संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही है। अब आपके पास रिपोर्टर्स नहीं हैं और आपने यहां टेपरिकार्डर का प्रबन्ध किया और हमारा जो वैधानिक अधिकार है कार्यवाही की प्रति भी हमको नहीं मिल सकती। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप इस धारा को सस्पेंड न कर दें तब तक विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। यह व्यवस्था का प्रश्न है जिसे मुझे अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये .....

जहां तक सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग का प्रश्न है उसके लिये हम यत्न कर रहे हैं। जितना सम्भव हो सकेगा हम उतनी रिपोर्टिंग करायेंगे और कराने का प्रयास हो रहा है। इसलिये यह काफी वजह नहीं है कि हम सदन की कार्यवाही रोकें।

प्रश्नोत्तर

(प्रश्नों का आइटम शुरू करने पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, ... (व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। इस समय प्रश्नों का समय है। प्रश्नों के बाद ही कुछ सुना जा सकता है। (व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उत्तर नहीं मिला।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हम भी कहना चाहते हैं ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

जो लाठी चार्ज हुआ है.....

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायें । रामसुन्दर जी, आप बैठ जायं । भगवान सहाय जी, आप भी बैठ जायं ।

श्री भगवानसहाय—

कल जो लाठी चार्ज हुआ है और १५ तारीख को सेक्रेटेरियट में जो लाठी चार्ज हुआ है, उसके विषय में हम डिस्कस करना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । अगर नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें ।

(श्री भगवान सहाय के न बैठने पर)

भगवान सहाय जी, आप कृपाकर सदन छोड़ें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष

इस समय में नहीं सुनूंगा । आप बैठ जायं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न आपको सुनना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

विरोधी दल की तरफ से जो कुछ कहना था वह उन्होंने कह दिया और सरकारी पक्ष की ओर से जो कुछ उनको कहना था वह भी उन्होंने कह दिया । अब इस विषय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता । (व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

उधर से वह कह रहे हैं कि प्रश्नों का उत्तर उनको नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

अगर सम्बन्धित माननीय सदस्य आपत्ति करेंगे तो मैं उसको सुनूंगा ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं यह कह रहा हूं कि जब उनको प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला तो फिर किस प्रकार सदन की कार्यवाही चलेगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कहने वाले कौन हैं ? जब रामकिशोर जी त्रिपाठी कहेंगे तो उनको सुना जायगा । (श्री रामकिशोर त्रिपाठी से) आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मुझे जवाब नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, प्रान्त का सारा कार्य ठप्प हो गया है। यहां पर माननीय सदस्यों को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। मैंने २, ३ प्रश्न उठाये थे। हमारे माननीय मन्त्री ने चीफ सेक्रेटरी की बात कहकर और प्रश्नों को छोड़ दिया। आपने आज्ञा दी कि पहले ये प्रश्न हो जायं तो उसके बाद आप और बातें सुनेंगे लेकिन हमारा निवेदन यह है कि इससे महत्वपूर्ण और क्या प्रश्न हो सकता है कि प्रदेश का सारा कामकाज ठप्प हो गया है। उस प्रश्न को हमने पहले उठाया और उस पर ही पहले विचार किया जाना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूं। आप चाहे जो करें। तीन बातों में केवल एक बात का मंत्री जी ने जवाब दिया। बाकी के लिये उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो तबियत होती है उनकी वह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, सदन का कार्य चलाना मेरा काम है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कर्मचारियों पर लाठी चलाने के लिये उन्होंने कहा कि जो कुछ हो सकेगा। हो जायगा। वह जो कुछ करें, हम अब नहीं बोलेंगे। हम वैसे ही खड़े रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माधवप्रसाद त्रिपाठी जी, आप अगर सदन का कार्य चलने नहीं देंगे तो मैं आप को आदेश देता हूं कि.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सदन के अन्दर भी आप बंगाल की तरह से कर के देख लें। जो समझ में आये वह करें, इन शब्दों का प्रयोग सदन में क्यों किया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये अथवा सदन छोड़िये।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी के स्थान ग्रहण न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी, आप सदन छोड़िये।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी के सदन न छोड़ने पर)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को सदन से बाहर ले जायं।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर जी, आप बैठ जायं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के न बैठने पर) अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें।)

(श्री रामसुन्दर पांडेय के सदन न छोड़ने एवं बोलते रहने पर)

माननीय रामसुन्दर को मार्शल, बाहर ले जायं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री अध्यक्ष—

(श्री रामसुन्दर शास्त्री के खड़े होने पर) शास्त्री जी, आप आसन ग्रहण करें । (श्री रामसुन्दर शास्त्री के आसन ग्रहण न करने पर)

अगर आसन ग्रहण नहीं करते हैं तो सदन छोड़ें । मार्शल, माननीय रामसुन्दर शास्त्री को बाहर निकाला जाय । आप सदन छोड़ें, आप व्यवधान डाल रहे हैं । मार्शल, हाउस गार्ड से मदद ली जाय । आप बाहर जायं कृपा कर के ।

(श्री रामसुन्दर शास्त्री सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री भगवानसहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सूबे के अन्दर जो भयानक परिस्थिति पैदा हो गयी है . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय जी, आप आसन ग्रहण करें । मैं इस समय प्रश्न लूंगा । (कुछ ठहर कर) अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें । (सदन न छोड़ने पर)

मार्शल, माननीय सदस्य को बाहर किया जाय ।

(श्री भगवानसहाय सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या १, २, ३. . . . . .

श्री विजयसिंह –

माननीय विरोधी दल के नेता को आपने बाहर कर दिया . . . .

श्री अध्यक्ष—

देखिये, सदन की मर्यादा यह है कि यहां की कार्यवाही चले । आपको जो कुछ कहना था वह मैंने आपको कहने की इजाजत दे दी । सरकार को जो कुछ कहना था वह उन्होंने कहा। मेरे अधिकार में केवल यह है कि मैं सदन का कार्य चलाऊं ।

श्री विजयसिंह—

आप चला सकते हैं उसको पूर्णरूप से ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय सदन को स्थगित कर दें, विचार कर लें फिर. . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं होगा । प्रश्न १, २, ३. . . . . (व्यवधान)

मार्शल, माननीय विजयसिंह को सदन से बाहर ले जाइये ।

(श्री विजयसिंह सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री शारदाभक्तसिंह—

प्रश्न यह है कि जैसे कि सरकार डंडा चलाना चाहती है, आप किसी को सुनना नहीं चाहते हैं । सरकार की बात नहीं सुनेंगे और विरोधी दल बोलें तो आप निकाल देंगे, तो सभा नहीं चल सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता आप बैठें या सदन छोड़ें ।

(स्थान ग्रहण न करने पर)

मार्शल, इनको बाहर कीजिये, आप व्यवधान डाल रहे हैं ।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री शारदाभक्तसिंह सदन से बाहर चले गये ।)

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

हम को प्रश्नों के उत्तर पहले दिये जाते, तो हम सप्लीमेंटरी कर लेते ।

श्री अध्यक्ष—

आपका नम्बर आयेगा तब आप कहियेगा । इस समय आप कृपा करके बैठें । (श्री शिवेन्द्रप्रताप के स्थान न ग्रहण करने पर) आप विघ्न डाल रहे हैं, आप सदन छोड़ें । मार्शल . . . .

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री शिवेन्द्रप्रताप सदन के बाहर चले गये ।)

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

सारे प्रदेश में आज अराजकता पैदा हो गयी है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, अथवा सदन छोड़िये. . . . . आप सदन छोड़िये ।

श्री जगन्नाथ राव—

मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर करें ।
(श्री जगन्नाथ राव सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

माननीय माधवप्रसाद जी . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, या सदन छोड़ें । आप बोल नहीं सकते ।

(अत्यन्त शोर)

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

आपको सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना ही पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, श्री बिपिन बिहारी तिवारी को सदन से बाहर ले जायं ।
(श्री बिपिनबिहारी तिवारी सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

इस तरह से सदन नहीं चल सकता. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें ।

श्री धूमप्रसाद—

नहीं छोड़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जायं ।
(श्री धूम प्रसाद सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यहां बड़ा अन्याय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, या सदन छोड़िये । (व्यवधान)
मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जायं ।
(श्री लखीसिंह सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, हम अन्यायी लोगों के सामने और आपकी अध्यक्षता में हरगिज काम करने के लिये तैयार नहीं हैं । इस कुर्सी पर जब तक आप बैठे रहेंगे हम काम करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें । अगर आप नहीं बैठते, तो कृपा करके सदन से बाहर चले जायं । (सदन न छोड़ने पर) मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जायं ।

(श्री विश्वनाथ प्रसाद को सदन से निष्कासित किया गया ।)

एक सदस्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, ध्यान दीजिये । यह जो आपकी किताब है इसमें हाउस की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करने का ढंग लिखा हुआ है । आप व्यवस्था दीजिये कि इस टेप रिकार्डर द्वारा ये प्रोसीडिंग्स रिकार्ड की जा सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था कर रहे हैं वही हो रही है । आप बैठ जाइये कृपा करके ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, ये तो लाठी डंडे से काम चला रहे हैं और आपने भी यही काम शुरू किया है । इस तरह से यह मामला चलने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यूसुफ साहब, मैं जानना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही चले या न चले, आप क्या चाहते हैं ? (व्यवधान) आप बैठ जाइये, अगर आप नहीं बैठते तो कृपया सदन छोड़िये ।

(स्थान न ग्रहण करने पर श्री सन्तसिंह यूसुफ को सदन से निष्कासित किया गया ।)

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, सूबे के अन्दर जो स्थिति पैदा हो गई है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

जो बीच में बोलेंगे उसको अनुचित समझा जावेगा और वे कृपा करके सदन को छोड़ दें ?

श्री होरीलाल यादव—

मान्यवर, जो हालत सूबे में चल रही है वह ऐसी हालत है कि सूबे में सामान्य स्थिति को लाने के लिये. . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

होरीलाल जी, आप कृपा करके सदन छोड़ें ।

(श्री होरीलाल यादव सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार लाठी और डंडे के बल पर ही चलेगी ? क्या लाठी डंडे के बल पर शासन चल सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप मुझ से नहीं, उनसे पूछिये ।

(श्री राजेन्द्रसिंह के पुनः खड़े होने पर) श्री राजेन्द्र सिंह जी, आप कृपया बैठ जायं या सदन छोड़ें ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

इस प्रकार से यह सदन नहीं चल सकता । इससे जनतंत्र की नींव हिल जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़ें ।

(श्री राजेन्द्र सिंह सदन से बाहर चले गये ।)

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)--

श्रीमन्, इस तरह से सदन में कभी भी व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती ।

श्री अध्यक्ष--

जो लोग भी बोल रहे हैं वे सदन में अव्यवस्था पैदा करने के लिये बोल रहे हैं, कृपा करके सदन से बाहर जायं । माननीय सहदेव सिंह जी, आप कृपा करके बैठें अथवा सदन छोड़ें ।

(स्थान न ग्रहण करने पर) श्री सहदेवसिंह सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किस प्रकार से सदन की कार्यवही चल रही है । अगर आप इसी प्रकार सदस्यों को सदन से बाहर करते रहे.....

श्री अध्यक्ष--

आप सदन को चलने देना चाहते हैं या नहीं ? अगर चलने देना चाहते हैं तो बैठ जायं अथवा कृपा करके सदन छोड़ें। मैं समझता हूं कि जो भी महानुभाव इस समय खड़े हो रहे हैं वह अव्यवस्था पैदा करने के लिये ही खड़े हो रहे हैं । उन्हें सदन छोड़ देना चाहिये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

फिर हाउस को स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, श्री मायर को सदन से बाहर जाने में सहायता करें ।

(श्री ब्रह्मदत्त मायर सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

अध्यक्ष जी, जो कार्यवाही हो रही है, क्या यह सदन की कार्यवाही हो रही है या पुलिस राज्य है ? (व्यवधान) क्या यह प्रजातांत्रिक और वैधानिक है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शर्मा जी, आप कृपया सदन छोड़िये । मार्शल, माननीय शर्मा जी को बाहर ले जायं ।

(श्री लखपतराम शर्मा सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय तेजभानसिंह जी, आप बैठें या सदन छोड़ें ।

(श्री तेजभानसिंह के न बैठने पर)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय तेजभानसिंह जी को बाहर ले जायं ।

(श्री तेजभानसिंह सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय,. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है । (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें अथवा सदन छोड़ें । (सदन न छोड़ने पर) मार्शल, श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा को सदन से बाहर ले जायं ।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा सदन से बाहर चले गये ।)

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, अभी आप कह रहे थे कि सदन की कार्यवाही चलेगी. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं तो यही चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही चले । आप या तो बैठ जायं या सदन छोड़ें ।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री हिम्मतसिंह सदन से बाहर चले गये ।)

श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, अगर इसी तरह से आप की कार्यवाही चलेगी तो हम नहीं बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप नहीं बैठेंगे तो कृपया सदन छोड़ें ।

श्री मेड़ीलाल—

हम सदन नहीं चलने देंगे, हम नहीं बैठेंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

जब तक कोई सही जवाब न आ जाय किसी प्रश्न का...

श्री अध्यक्ष---

जब जवाब आ जाय तब आप कुछ कहें ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

जो जवाब हमें दिया गया है वह बिलकुल गलत है । जो सूचना स्थगन की आयी है वह पूरी नहीं है, एक में है कि मेरे कक्ष में आकर देख लें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय रामकिशोर जी, आप जवाब सुन लें तो समझ पायेंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

अध्यक्ष महोदय, इसकी सूची मेरे पास है । आपके पास भी इसकी सूची है । आप देख लें इसमें साफ लिखा हुआ है कि "सूची संलग्न है" और उसके बाद काट दिया गया है और बाद में हाथ से बढ़ा दिया गया है "क्योंकि सूचना बहुत विस्तृत है" ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, तो मैं सुन लूं । माननीय मंत्री जी, क्या कहना है जो आपकी आपत्ति है उसके सम्बन्ध में ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री रामसूति)---

अध्यक्ष महोदय ।... (व्यवधान)

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह सदन इस समय चल नहीं सकता किसी दशा में इस लिए कि सारे प्रदेश में लाखों कर्मचारियों पर यह लाठी चलवा रहे हैं और सदन के अन्दर आप इस तरह से तानाशाह बनकर सदन चलाना चाहते हैं । ऐसी दशा में सदन...

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए अथवा सदन छोड़िए ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

मेरा ४१ और ४२ प्रश्न है । मेरे प्रश्नों का उत्तर आप सुन लें । ऐसी दशा में आप सदन नहीं चला सकते और यह तानाशाह सरकार नहीं चल सकती और यह गुंडाशाही नहीं चल सकती ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, आपको बाहर ले जाइये ।

(श्री सुखदेवप्रसाद को मार्शल सदन से बाहर ले गए ।)

श्री अध्यक्ष---

(श्री द्विजेन्द्र नारायण के खड़े होने पर) आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कांग्रेस सरकार के बारे में और इस सदन की स्थिति गड़बड़ हो चुकी है आपके व्यवहार के कारण..

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अगर आपको लेक्चर देना है तो आप सदन से बाहर जाइए।

(स्थान न ग्रहण करने पर) मार्शल, आपको भी बाहर कीजिए।

श्री द्विजेन्द्रनारायण--

मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

और क्या? आप कहते जा रहे हैं। आप सदन से बाहर जायं।

(श्री द्विजेन्द्र नारायण को मार्शल सदन से बाहर ले गए।)

(मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

उन हालात को देखकर (व्यवधान) सुन लीजिए मेरी बात। इस बात को तो कभी गवारा नहीं करेंगे जिस तरीके से आप निकाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िए। (व्यवधान) माननीय रियासत हुसैन, सदन छोड़िए।

(श्री रियासत हुसैन सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी.....।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, प्रांत में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

देखिए, आप व्यवधान डाल रहे हैं। आप कृपा कर के सदन छोड़ें। आप सदन छोड़िए। (व्यवधान)

श्री नाथूराम शिक्षक--

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की बातें तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, आपको सदन से बाहर ले जाइए।

(श्री नाथूराम शिक्षक को मार्शल सदन से बाहर ले गए।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री महोदय।....

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको विश्वास दिला कर बताना चाहता हूं कि अगर इस तानाशाही के तरीके पर आप काम करेंगे तो आप यहां अगली बार कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

तानाशाही मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, यह दुनिया जानेगी। आप कृपा कर बैठें अथवा सदन छोड़ें। (न बैठने पर)

(श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल श्री छांगुर राम को सदन से बाहर ले गए।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बंशीधर जी।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

सूची संलग्न को काट दिया गया है। वह जिलों की बात थी। बड़ी भारी सूची है। इसको हमने कहा कि कार्यालय देख ले।

(श्री सत्यनारायण पांडेय के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठें या सदन छोड़िए।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्यों सदन छोड़ें ?

श्री अध्यक्ष--

जो भी सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालेगा उसको सदन छोड़ना पड़ेगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मैं आपकी आज्ञा मान कर बैठ जाऊंगा लेकिन एक बात बतायें ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठ जाइए।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। यह मेरा आदेश है।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

आप व्यवस्था दे दीजिए। मैं आपकी आज्ञा मानकर बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िए या बैठ जाइए।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

इस समय नहीं। मैंने मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या है ?

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर सदन में इस समय पुलिस मौजूद है, सी० आई० डी० मौजूद है और आपको रूलिंग हो चुकी है कि सदन में सी० आई० डी० नहीं आनी चाहिए और यहां पर सी० आई० डी० उपस्थित है और सदन की सारी कार्यवाही लिख रही है । ऐसी स्थिति में सदन की गरिमा कायम नहीं रह सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए । मैं समझ गया । जहां तक सी० आई० डी० रिपोर्टरों की उपस्थिति का प्रश्न है, मैंने पहले निवेदन किया था कि मैं समझता हूं कि इस सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट हमें माननीय सदस्यों को देना आवश्यक है, इस दृष्टि से मैंनेकहा कि मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा कि सी० आई० डी० के रिपोर्टरों को न बुलाकर और कर्मचारियों द्वारा काम कराऊं । लेकिन २-३ दिन के अनुभव के बाद पता चला कि सी० आई डी० के रिपोर्टरों के बिना काम नहीं चल सकता है । इसलिए मजबूर होकर सी० आई० डी० के कुछ आदमियों को बुलाया गया है । हमारा विश्वास है कि वह कोई रिपोर्ट यहां की अन्यत्र नहीं पहुचायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि हमारी जो सभा होती है, जो भाषण होते हैं, कोई गुप्त नहीं होते हैं, वह सार्वजनिक होते हैं । जनता उनको देख सकती है और ६ महीने के अन्दर वह रिपोर्ट बाजार में पहुंच जाती है बिकने के लिए । यह कहना कि सी० आई० डी० द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी माननीय सदस्य के प्रति भय या शंका है, यह गलत है । केवल सदन की मर्यादाओं के संरक्षण के लिए सी० आई० डी० को हम बाहर रखते थे लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैंने उन्हें बुलाया है और आपसे भी निवेदन किया है कि आप हमारे सामने कोई अन्य योजना रक्खें, तो उस पर हम विचार कर लेंगे । किन्तु अभी तक इस प्रकार की कोई योजना हमारे सामने नहीं आई है । इसलिए अब यह प्रश्न समाप्त, अब इस पर कोई बहस हम नहीं करेंगे, अब इस पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

जैसा कि आपने कहा कि विशेष परिस्थितियों में आपने सी० आई० डी० वालों को बुलाया है तो क्या अब आप विशेष स्थितियों में पी० ए० सी० पल्टन और फौज भी यहां बुलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई यहां ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे पी० ए० सी० या मिलेट्री को बुलाना पड़े । इसलिए पी० ए० सी० को बुलाने का कोई सवाल नहीं है । किन्तु मुझे अधिकार है--सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमारा कर्त्तव्य है । हमें आशा है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ।

श्री गयाप्रसाद--

आप हमारी ही व्यवस्था देखिएगा या इस सरकार की भी व्यवस्था देखिएगा ?

श्री अध्यक्ष--

उससे मेरा कोई मतलब नहीं है ।

श्री गयाप्रसाद---

हमीं लोगों की व्यवस्था देखिएगा या सदन की....

श्री अध्यक्ष---

हम दोनों की देखेंगे, लेकिन सदन के कामों में ही। अच्छा, अब आप बैठ जाइए।

श्री गयाप्रसाद---

अपने प्रश्न का माकूल जवाब मिलने पर ही, मैं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष---

यदि ऐसी बात है तो आप सदन छोड़िए।

(स्थान न ग्रहण करने पर)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, माननीय गयाप्रसाद जी को ....

श्री गयाप्रसाद--

जब तक यह सरकार रहेगी तब तक इस प्रकार की अव्यवस्था रहेगी।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए हमारे पास इलाज नहीं है, आप कृपा करके सदन छोड़िए।

(मार्शल के सदस्य के पास पहुंचने पर) मार्शल को आदेश दिया गया है कि वह आपकी मदद करे आपके सदन छोड़ने में।

श्री गयाप्रसाद--

इनकी मदद से भी मैं नहीं निकलूंगा। आप मौजूद हैं, तो हमें आपकी मदद चाहिए।

(व्यवधान)

(श्री गयाप्रसाद सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री अध्यक्ष---

बंशीधर जी, आप क्या कह रहे थे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने यह कहा कि...

(सत्यनारायण पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सत्यनारायण पांडेय, आप सदन छोड़िए। आपसे कई बार कह चुका हूं, आप कई बार व्यवधान डाल चुके हैं। आप कृपा करके सदन छोड़िए।

(श्री सत्यनारायण पांडेय सदन से निष्कासित किये गये।)

(श्री लोकपालसिंह के खड़े होने और कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए अथवा सदन छोड़िए।

(श्री लोकपालसिंह सदन छोड़कर चले गये।)

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सूची इतनी बड़ी है। वह २३ जिलों की है। उसे हमारे कार्यालय में देखा जा सकता है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, अब १२ बजकर ४ मिनट हो चुके हैं ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष जी . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय हसीब खां, आप बैठ जाइए ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

जो काम आप आज कर रहे हैं उससे कोई अच्छी फिजा नहीं बन रही है. . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिये अथवा सदन छोड़िए ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

आप एक-एक करके लोगों को निकाल रहे हैं, यह कोई व्यवस्था तो नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप बैठ जाइये अथवा सदन छोड़िये ।

(चौधरी अब्दुल हसीब खां सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

श्रीमन्, आप इस सवाल को पढ़ें । इसमें कितना धन व्यय हुआ है यह विवरण बहुत विस्तृत हो यह बात मेरी समझ में नहीं आती । दूसरा सवाल है कि इसमें साफ लिखा हुआ है. .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

आप मुझे स्पष्टीकरण करवा लेने दीजिए जो मंत्री जी ने कहा है. . .

श्री अध्यक्ष—

देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सूचना बहुत विस्तृत है । आप जाइये और जाकर उसे उनके कार्यालय में देख सकते हैं । इस संबंध में आप बाद में कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरी एक बात एक मिनट में सुन लें । आपकी आज्ञा थी कि प्रश्नों के बाद बात सुनी जायगी और अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी एकाध मिनट बाकी है ।

श्री श्रीराम--

मैं आपके द्वारा सरकार के बारे में कह रहा हूं कि इस सरकार का यह तानाशाही तरीका है और उसकी तानाशाही के खिलाफ में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अब ज्यादा दिन चल नहीं सकती ।

(स्थान न ग्रहण करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें अथवा सदन छोड़ें । (मार्शल, आप इनको सदन से बाहर ले जाइये ।)

(श्रीराम सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री अध्यक्ष--

(श्री रामकिशोर त्रिपाठी से) तो मैं कह रहा था कि जो सूची है इस संबंध में अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता उसमें कर सकते हैं । जहां तक दूसरे प्रश्न हैं उनके संबंध में आप पूछ सकते हैं । (श्री वेदराम के खड़े होने पर)

वेदराम जी, कहां आप वेद लेकर खड़े हो गए । आप कृपया बैठिए ।

(श्री वेदराम ने स्थान ग्रहण किया ।)

रामकिशोर जी, कोई प्रश्न आप पूछ रहे हैं ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है श्रीमन्, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप से कह रहा हूं कि आप जो प्रश्न करना चाहते हैं उसके लिए कार्यालय में जो सूची है उसे देख लें और जो सूची से सबधित प्रश्न होंगे उनको हम विशेष रूप में प्राथमिकता देंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

पूछने का सवाल नहीं है । जब तक पूरा विवरण सामने न आ जाय तब तक इस संबंध में क्या पूछा जा सकता है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

इस प्रश्नों के समय में सारा समय वैसे ही बरबाद कर दिया गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको कुछ कहना हो तो बाहर जाकर इस तरह से कहिए ।

श्री दयाराम शाक्य--

१५ मिनट के समय में यहां पर व्यवस्था कायम हो सकती थी । लेकिन १५ मिनट के समय को लेकर यह सारा समय बरबाद कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया सदन से बाहर जाकर इस तरह से बातें करें ।

(श्री दयाराम शाक्य सदन के बाहर चले गए ।)

बुधवार, २० जुलाई, १९६६

तारांकित प्रश्न

जन शक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जो २१ जिले जन-शक्ति योजना में लिए गए हैं इनमें से कौन-कौन ब्लाक इस योजना में शामिल हैं और इन ब्लाकों के लिए कब और कितना-कितना धन व्यय कर सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की गई ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

प्रदेश के २३ जिलों के १६९ ब्लाकों में जन शक्ति योजना के कार्य स्वीकृत हुए उनमें से जिलेवार जो-जो ब्लाक इस योजना में शामिल हैं और ब्लाकों के लिए जब और जितना धन व्यय कर सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है उसका विभागवार विवरण कार्यालय में देखने की कृपा करें क्योंकि सूचना बहुत विस्तृत है ।

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ब्लाकों के लिए सड़क निर्माण हेतु जो धन स्वीकृत किया गया था उसमें से अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और कितनी लम्बाई की सड़कें बन चुकी हैं और कितनी शेष हैं ?

श्री राममूर्ति—

जो धन सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ था, जो धन व्यय हो चुका है और जितनी लम्बाई की सड़कें बन चुकी हैं उनका भी विभागवार विवरण कार्यालय में देखने का कष्ट करें क्योंकि सूचना बहुत विस्तृत है।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि जिन ब्लाकों को उक्त योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए जो धन स्वीकृत हुआ है वह अधिकांश उन ब्लाकों में समय के अन्दर उपयोग नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाराबंकी जिले के सबसे पिछड़े क्षेत्र हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास खण्डों को शामिल कर जिन ब्लाकों में काम नहीं हो पा रहा है उनका रुपया इन ब्लाकों की सड़कों के निर्माण पर व्यय करने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा नहीं है। वस्तुतः पिछले वर्ष राज्य सरकार को जितने धन की आवश्यकता थी उससे बहुत कम भारत सरकार ने ग्राम शक्ति योजना के लिए दिया। अतः हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास क्षेत्र व विकास खंडों की सड़कों के निर्माण पर व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी यह ब्लाक ग्राम शक्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ही नहीं है ।

इन ब्लाकों का ग्राम शक्ति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि इस कार्यक्रम को नवीन ब्लाकों में प्रसारित करने की अनुमति दें।

*४—५—कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[स्थगित किये गये ।]

---

*उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत प्रश्नोत्तर छापे गए ।

जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जन-शक्ति योजना के अनुसार जिलेवार कितनी-कितनी लम्बी सड़कें बन चुकी हैं, और बढ़ाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना प्राप्त हो चुकी है परन्तु यह सूचना अधिक विस्तृत है। माननीय सदस्य महोदय कृपया इसको मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी के विरुद्ध शिकायतें

*७—श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी, शिवप्रसाद गुप्त, जिला अस्पताल के सम्बन्ध में सन् १९६५ की जनवरी से दिसम्बर तक कितनी शिकायत की दरख्वास्तें स्वास्थ्य मन्त्री, निदेशक, स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुयीं ? उसमें सिविल सर्जन के अलावा किन-किन की शिकायतें हैं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

इस अस्पताल के सम्बन्ध में इस समय में कुछ शिकायतें स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सीधी प्राप्त हुईं। इसके अलावा सरकार के पास भी सचिवालय में शिकायतें आई हैं। यह शिकायतें इस अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों, मैट्रन तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के विरुद्ध हैं।

अजमतगढ़ विकास क्षेत्र में सिंचाई कूपों के लिये सहायता

*८—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम महावतगढ़, विकास क्षेत्र अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ में छोटी सिंचाई योजना हेतु सन् १९६३-६४ व १९६४-६५ में निम्नलिखित व्यक्तियों को श्री विजयबहादुरसिंह, छट्टू हरिजन, गनेश प्रसाद यादव, दौलत हरिजन, बनवारी हरिजन, बनारसी हरिजन, हरिचन धोबी, भगतू हरिजन, इन आठ व्यक्तियों को कुआं बनवाने के लिए ढाई-ढाई सौ रुपए की तीन किस्तें सरकार द्वारा दी गईं परन्तु चौथी किस्त न देने का क्या कारण है ? यह चौथी किस्त कब तक दे दी जाएगी ?

श्री राममूर्ति—

१९६३–६४ व १९६४–६५ में विजयबहादुर सिंह, बनवारी हरिजन तथा भगत हरिजन को कोई कर्ज स्वीकृत नहीं किया गया।

शेष चार व्यक्तियों को १,००० रु० स्वीकृत किए गए तथा श्री छट्टू हरिजन को ८०० रु० जिन्हें एक ही किस्त में भुगतान भी किया गया। अतः चौथी किस्त देने का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जिले में सिंचाई कूपों का निर्माण

*९—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर, ब्लाक जैतीपुर तथा तलहर और जलालाबाद ब्लाक में १५ फरवरी, १९६६ तक कितने कुएं आबपाशी के लिए लघु सिंचाई कार्यक्रम के अनुसार बन गए हैं और जिनसे आबपाशी हो रही है ?

श्री राममूर्ति--

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर तथा तिलहर और जलालाबाद में २८ फरवरी, १९६६ तक लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई के लिए कुल क्रमशः २१४,३३१ और ६५३ कुएं बनाए गए हैं, जिनमें से १८६, ३३१ और ५२९ कुओं से आबपाशी हो रही है।

मथुरा जिले में सहकारिता विभाग के कर्मचारी

*१०--श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में सहकारिता विभाग में ऐसे कितने व कौन-कौन सहकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं जिन्हें अपने वर्तमान पदों पर अथवा विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए दस वर्ष से अधिक समय हो गया है?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)--

मथुरा जिले में सहकारिता विभाग के किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को अपने वर्तमान पद पर अथवा विभिन्न पदों पर कार्य करते हुये दस वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है।

जहांगीरगंज विकास क्षेत्र में सीमेंट वितरण

*११--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद को १९६४-६५ में सरकार से कुल कितना धन मिला?

श्री राममूर्ति--

वर्ष १९६४-६५ में जहांगीरगंज विकास क्षेत्र को कुल ८९,२८४-०० रु० नियोजन विभाग द्वारा दिया गया।

*१२--श्री सुखरामदास--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद को १९६४-६५ में कुल कितनी सीमेंट मिली?

श्री राममूर्ति--

उक्त विकास खण्ड को १९६४-६५ में कुल २,६८८ बोरी सीमेंट मिली।

*१३--श्री सुखरामदास--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विकास खण्ड से किस-किस को और किन-किन तारीखों में सीमेंट दी गयी?

श्री राममूर्ति--

सूची बहुत बड़ी है अतः कृपया मेरे कार्यालय में देखने का कष्ट करें।

सकरौरा साधन सहकारी समिति, करनैलगंज में गबन

*१४--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर, गोंडा में सकरौरा सोसाइटी करनैलगंज (गोंडा) के सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट क्या है? उसकी एक प्रति सरकार क्या सदन की मेज पर रक्खेगी?

श्री बनारसीदास--

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर जिला से सम्बद्ध सकरौरा साधन सहकारी समिति करनैलगंज, गोंडा की द्वितीय वर्ष १९६१-६२ की कोई अलग से आडिट रिपोर्ट नहीं है।

समिति की सहकारी वर्ष १९६१–६२ (१ जुलाई, १९६१ से ३० जून, १९६२) की आडिट रिपोर्ट है, किन्तु सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं है।

*१५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सोसाइटी में गबन है? यदि हां, तो कितने रुपये का और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बनारसीदास—

जी हां। गबन की धनराशि मु० २०,६१६.५२ रु० एवं मु० ३,७६४.८० रु० है इस गबन की रिपोर्ट पुलिस में ७–१–६४ को की जा चुकी है। गबन के लिए उत्तरदायी समिति के भूतपूर्व सरपंच गिरफ्तार हो कर जमानत पर रिहा हैं उन पर सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।

*१६—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सोसाइटी में उस समय के मैनेजिंग डायरेक्टर का भी कुछ हाथ है?

श्री बनारसीदास—

सोसाइटी के गबन में उस समय के बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर का कोई हाथ प्रतीत नहीं होता है।

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर से संबंधित समितियों में गबन

*१७—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) तथा श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर तथा उससे सम्बन्धित ब्रांचों में किस ब्लाक की कौन-कौन-सी सोसाइटियां सम्बन्धित हैं?

*१८ क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बैंक से सम्बन्धित कितनी सोसाइटयों में कितना रुपया किस सन् का गबन है तथा उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मलौनी बांध

*१९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत लिया गया तथा पटेल कमीशन द्वारा सिफारिशी गोरखपुर के मलौनी बांध को राप्ती के बायें किनारे-किनारे देवरिया के गांवघाट और मदनपुर तक बनवाने का काम कब से प्रारम्भ कर दिया जावेगा तथा इसके बनने में कितना समय लगेगा और लागत का क्या अनुमान किया गया है?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जिलान्तर्गत आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टर

*२०—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत किन-किन आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बलिया जिले के समस्त आयुर्वेदिक अस्पतालों में इस समय चिकित्सक कार्य कर रहे हैं।

*२१—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां शीघ्र डाक्टर भिजवाने का कष्ट करेंगे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

गांव सभा फ़खरपुर बरेवा के हिसाब में गड़बड़ी

*२२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा फखरपुर बरेवा, जिला फर्रुखाबाद का हिसाब-किताब सहायक विकास अधिकारी, पंचायत विकास क्षेत्र, उमर्दा ने मार्च, १९६२ से दिसम्बर, १९६५ के बीच जांचा है? यदि हां, तो उस हिसाब में कोई गबन साबित हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा फखरपुर बरेवा, जिला फर्रुखाबाद, का हिसाब-किताब सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास क्षेत्र उमर्दा ने दिनांक २७ नवम्बर, १९६४ को जांचा था जिसमें १,४५० रु० का अनियमित रूप से व्यय होना पाया गया। इसके लिए प्रधान को नोटिस दिया गया था जिस पर उन्होंने १,१०० रु० जमा कर दिए हैं।

प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित परगना अधिकारी को लिखा जा चुका है तथा इस गांव पंचायत के हिसाब का विशेष आडिट भी कराया जा रहा है।

गाजीपुर जिला सहकारी संघ के कर्मचारियों का भत्ता

*२३—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजीपुर जिला सहकारी संघ के कुछ कर्मचारियों को अन्तरिम रिलीफ भत्ता दिया गया था और कुछ को नहीं? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया? बोनस सम्बन्धी अध्यादेश लागू होने के बाद उक्त संघ के कर्मचारियों के बोनस वितरण कराने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री बनारसीदास—

जी हां। म्युनिसिपल टाउन एरिया क्षेत्रों में कार्य करने वाले संघ के कर्मचारियों को अन्तरिम रिलीफ भत्ता दिया गया। देहाती क्षेत्रों में स्थित संघ द्वारा संचालित भट्ठों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्तरिम रिलीफ भत्ता नहीं दिया गया क्योंकि देहाती क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा महंगाई का कम प्रभाव होता है।

बोनस सम्बन्धी अध्यादेश लागू होने के पश्चात् संघ के कर्मचारियों को बोनस वितरण हेतु हिसाब-किताब तैयार कराया जा रहा है।

*२४—श्री राजनाथसिंह—

क्या यह सही है कि गाजीपुर सहकारी संघ का शुद्ध लाभ पचासी हजार से अधिक है और कुल लाभ १ लाख से अधिक है? यदि हां, तो ऐसे सुव्यवस्थित सहकारी संघ को क्यों सुपरसीड किया गया।

श्री बनारसीदास—

गाजीपुर जिला सहकारी संघ के वर्ष १९६३–६४ में रुपया ८४,९५९ १२ पैसे का लाभ हुआ जिसमें वर्ष १९६२-६३ का अवितरित लाभ मिलाकर कुल लाभ १,६५,८१०,०० रु० है। संघ को लाभ होना ही उसके सुव्यवस्थित होने का प्रमाण नहीं है। विभाग द्वारा संघ के संचालक मंडल पर नियमों के विरुद्ध संघ के हितों के विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में आरोप लगाया गया। आरोपों का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर संघ के संचालक मंडल को निलम्बित कर दिया गया।

*२५—श्री राजनाथ सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी संघ, गाजीपुर के कर्मचारियों का कितने दिनों का बोनस संघ के वार्षिक अधिवेशन में साधारण सदस्यों द्वारा स्वीकृत करने के बावजूद भी क्यों रोक रखा गया है? क्या सरकार इसके वितरण कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री बनारसीदास—

गाजीपुर जिला सहकारी संघ के वार्षिक अधिवेशन द्वारा संघ के कर्मचारियों को स्वीकृत वर्ष १९६१-६२ व १९६२–६३ का बोनस वितरण उप-निबन्धक, सहकारी समितियां, वाराणसी द्वारा रोक दिया गया क्योंकि बोनस वितरण संघ के उप-नियमों के अन्तर्गत नहीं आता।

चूंकि अब बोनस के सम्बन्ध में अध्यादेश लागू हो गया है अतः इसके अनुसार संघ के कर्मचारियों को बोनस देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में विकास खंडों की जीपें

*२६—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन विकास खण्डों की जीपें कितने-कितने महीनों से खराब पड़ी हैं और मरम्मत न होने का कारण क्या है?

*२७—क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड राकी की सराय के चालक जीप की सेवा-मुक्ति क्यों कर दी गयी है? और क्या सेवा-मुक्ति के साथ-साथ चालक का वेतन आदि दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

खजुहा व अमौली विकास खंडों को अनुदान

*२८—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या विकास मंत्री फतेहपुर जिले के क्रमशः अमोली तथा खजुहा विकास खन्डों की समितियों द्वारा दिनांक २८ फरवरी, १९६६ तक किन किन को (पते सहित) कब, किस प्रयोजनार्थ और कितना धनराशि अनुदान के रुप में सहायतार्थ दी गयी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे, और क्या यह बतायेंगे कि दी गयी धनराशि का नियमित उपयोग किया जा चुका है? यदि नहीं, तो उनके पते सहित नाम क्या है जिन्होंने प्राप्त धनराशि को प्रयोग नहीं किया और क्यों?

श्री राममूर्ति—

इस जनपद के खजुहा व अमौली विकास खन्डों में क्रमशः १-१०-६० व १-१०-६२ से अनुदान की धनराशि भुगतान हेतु विभिन्न उप मदों की स्वीकृत की गई थी तथा कुल धनराशि की स्वीकृति वितरण एवं अवशेष धनराशि की २८-२-६६ तक की स्थिति प्रत्येक विकास खण्ड की पृथक-पृथक संलग्न है तथा प्रत्येक अनुदान गृहीता की प्रत्येक मद की †सूची नाम व पता सहित संलग्न है। कार्य पूरा न होने का कारण भी अंकित है।

*२९-३१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

[स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में चेचक

*३२—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के प्रत्येक विकास खन्ड में १ जनवरी, १९६६ से १५ मई, १९६६ तक चेचक से कितनी मौतें हुयी? क्या यह सही है कि चेचक ने जिले में इस वर्ष महामारी का रूप धारण कर लिया था? यदि हां, तो उसके रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला फतेहपुर में १ जनवरी, १९६६ से १५ मई, १९६६ तक किसी व्यक्ति के चेचक से मरने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। यह सही नहीं है कि चेचक ने फतेहपुर जिले में महामारी का रूप धारण कर लिया था। फिर भी इस रोग की रोक थाम के लिये उक्त अवधि में १६,३७३ टीके लगाये गये थे।

झांसी में बीड़ी प्रतिष्ठानों से न्यूनतम मजदूरी न मिलना

*३३—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सहकारिता मंत्री, दिनांक ११ मई, १९६६ को नत्थी "ग" प्रश्न संख्या १३ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उत्तर द्वारा जो १६ बीड़ी मालिकों द्वारा हाई कोर्ट में रिट दायर किया जाना स्वीकार किया गया है, उपरोक्त रिट मालिकों द्वारा सरकारी आदेश जिसके द्वारा १ रु० १४ आना व १ रु० १२ आना प्रति हजार किया गया था? उक्त आदेश के पूर्व मालिकों द्वारा किसी अन्य आदेश के संबंध में रिटें दायर की गई थीं या दरें बढ़ाये जाने के संबंध में रिटें दायर की गई? यदि उपरोक्त रिटें नये आदेश के संबंध में दायर नहीं की गईं तो सरकार द्वारा आदेश का पालन कराये जाने के संबंध में दायर नहीं की गई तो सरकार द्वारा आदेश का पालन कराये जाने के संबंध में मालिकों के खिलाफ क्यों कानूनी कार्यवाही स्वयं नहीं की गयी?

श्री बनारसी दास—

दरें बढ़ाये जाने के संबंध में रिटें दायर की थीं। अवश्य उन १६ बीड़ी मालिकों में से ६ ने जब पूर्व एक अन्य आदेश द्वारा न्यूनतम फुटकर दरें बढ़ा कर १ रु० ५० पैसे प्रति हजार बीड़ी की गई थी उस अन्य पूर्व आदेश के विरुद्ध भी रिट दायर की थी जो अन्ततः खारिज हो गयी थी।

बिन्दकी नगरपालिका में वाणिज्य अधिनियम लागू करने की प्रार्थना

*३४—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष १९६५ में जिला फतेहपुर की किन-किन नगरपालिकाओं या टाउन एरिया में काम करने वाले कर्मचारियों के इस आशय के

†नत्थी छापी नहीं गई।

प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं कि उसमें दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम लागू किया जाय तथा उसके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

केवल बिन्दकी नगरपालिका के कुछ दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के कर्मचारियों के तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। इन पर विचार किया गया और वहां अधिनियम को लागू किया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया। प्रार्थियों को श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा तदनुसार सूचित कर दिया गया।

वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत ओवर टाइम

*३५—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोन्डा)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित कार्य के घन्टों के बाद जो कर्मचारियों को रोका जाता है क्या इसके उपलक्ष्य में उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न है उन्हें ओवर टाइम नहीं दिया जाता है क्योंकि नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। श्रम विभाग के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य भिन्न-भिन्न श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत अवश्य ओवर टाइम देने की व्यवस्था है। केवल प्लान्टेशन के श्रमिकों को ओवर टाइम देने की व्यवस्था नहीं हैं क्योंकि प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट, १९५१ में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

*३६–३७—

[स्थगित किये गये।]

आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की मांगें

*३८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि मार्च, १९६६ के अन्त में तथा अप्रैल, १९६६ के प्रथम सप्ताह में कुछ दिन विधान भवन के सामने आयुर्वेदिक कालेजों (राजकीय आयुर्वेद कालेज को छोड़कर) के छात्र प्रतिनिधियों ने भूख हड़ताल रखी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, दो छात्रों ने विधान भवन के सामने दिनांक २३ मार्च, १९६६ से भूख हड़ताल की थी और दिनांक ३ अप्रैल, १९६६ को समाप्त कर दी थी। इन छात्रों की मुख्य मांग यह थी कि भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध आयुर्वेदिक कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय।

छात्रों की दूसरी मांग यह भी थी कि बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी को सरकार अपने संरक्षण में ले ले।

जहां तक छात्रों की पहिली मांग का प्रश्न है इन कालेजों को यह परामर्श दे दिया गया है कि वे आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के लिये उक्त विश्वविद्यालय को प्रार्थना-पत्र दें। साथ ही रजिस्ट्रार, आगरा विश्वविद्यालय से भी यह अनुरोध किया गया है कि इन आयुर्वेदिक कालजों की इस प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

बुन्देलखन्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की स्थिति में सुधार लाने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

बी० डी० ओ०, रामकोला के खिलाफ शिकायत

*३९—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

क्या विकास मंत्री इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खण्ड, राम कोला में वित्तीय वर्ष, १९६५–६६ में ग्राम सभाओं को जो हैन्डपम्प स्वीकृत किये गये उन्हें बी० डी० ओ० द्वारा रामकोला के एक विशेष दूकानदार, श्री राम सेवक से ही खरीदने को बाध्य किया गया जिसने कि बाजार भाव से १५ रु० प्रति हैन्डपंप अधिक कीमत ली ?

श्री राममूर्ति—

बी० डी० ओ०, रामकोला द्वारा श्री रामसेवक से हैन्ड पम्प खरीदने के लिये किसी ग्राम सभा को बाध्य नहीं किया गया ।

*४०—श्री शारदाभक्तसिंह—

क्या विकास मंत्री को इसकी जानकारी है देवरिया जिले के विकास खन्ड, रामकोला की ग्राम सभा, शिवपुर भठिया को हैन्ड पंप का अनुदान स्वीकृत होने के बाद भी इसलिये बी० डी० ओ० द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि ग्राम प्रधान ने बी० डी० ओ० द्वारा बताई गई दूकान के अतिरिक्त किसी दूकानदार से सस्ती दर पर हैन्डपम्प खरीद लिया था ? यदि हां, तो बी० डी० ओ० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—

यह सत्य नहीं है कि बी० डी० ओ० द्वारा स्वीकृत अनुदान का भुगतान करने में कोई बाधा डाली गई । अतः बी० डी० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४१–४२— श्री सुखदेवप्रसाद—

[स्थगित किये गये ।]

*४३–४४—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[स्थगित किये गये ।]

*४५—श्री कमलासिंह यादव—

[स्थगित किया गया ।]

*४६–४७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

[स्थगित किये गये ।]

टेक्निकल अफसरों का सेलेक्शन

*४८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मई-जून, १९६५ में जो टेक्निकल आफिसरों के क्लास २ से क्लास १ के सेलेक्शन के लिये जो नाम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग एन्ड इम्प्लायमेंट विभाग द्वारा भेजे गये हैं उनमें कौन-कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो जूनियर हैं और इन जूनियर आफिसरों का करेक्टर रोल नहीं है फिर भी क्लास १ के सेलेक्शन में भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

१९६५ में स्टेट ट्रेनिंग सर्विस सीनियर स्केल में लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्तियों में से नियुक्तियां की गई। इस सर्विस में नियुक्ति का आधार क्लास २ से पदोन्नति न होकर सीधी भरती (direct recruitment) द्वारा है। विभाग द्वारा आयोग को किसी के नाम भेजने या किसी वरिष्ठ (senior) अधिकारी को छोड़ कर किसी कनिष्ठ (junior) अधिकारी को पदोन्नत करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि पिछले दिन मैंने आपको इत्तला दी थी कि सदन की जो कार्यवाही है उसकी सूची हमको नहीं मिली और उसकी कापी भी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

आपको कार्य सूची नहीं मिली है ?

श्री कमलासिंह यादव—

जो हमारे भाषण होते हैं उसकी प्रति हमको नहीं मिली। इस प्रश्न की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया था। नियम ३३ की ओर आपका ध्यान दिलाया था जिसमें यह दिया हुआ है कि एक रोज पहले जितने प्रश्न होंगे उनके उत्तर हमारे पास पहुंच जायेंगे। लेकिन इस तरह की आप कोई व्यवस्था नहीं कर सके जिससे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल सकें। १२ बजे तक हम यहां पर बैठे रहे लेकिन हम कोई कार्य नहीं कर सके। सवालों के जवाब भी हमको नहीं मिले, यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको वे उत्तर मिलें। सब से पहले आपका कर्तव्य यह था कि आप हमको लिखित उत्तर दिलाते और एक दिन पहले वह हमारे घर पर पहुंचते। जिस तरह से आप सदन का कार्य चला रहे हैं उसमें आप हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर सके हैं.....

श्री अध्यक्ष—

एक बात आपने यह कही कि प्रश्नों के उत्तर जो आपको एक दिन पहले मिलने चाहिये वह नहीं मिले। दूसरी बात आप बतलायें ?

श्री कमलासिंह यादव—

इस सदन के जो नियम बने हुये हैं २०८ के अन्तर्गत उनका पालन होना बहुत जरूरी है लेकिन आप उनका पालन नहीं करा रहे हैं। मैं देखता हूं कि सरकार भी उन नियमों का पालन बराबर नहीं कर रही है। अन्दर पी० ए० सी० लगी हुई है। आप भी इस बात को देखें कि सचिवालय में सारे कागजात रखे हुये हैं किन्तु कोई देखने वाला नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी इस आपत्ति को मानता हूं। आपकी बात मैंने सुन ली। आपको कार्य-सूची भी नहीं मिली।

श्री कमलासिंह यादव—

हमको उत्तर नहीं मिले।

(व्यवधान)

आप हमारी बात सुनिये। अन्तरिम उत्तर देने की बात थी। (व्यवधान) आप हमारी बात सुनिये....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप जरा बैठिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो आपके आदेश से खड़ा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप जो कहना चाहते हैं, कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरे कहने का मतलब यह है कि .....

(व्यवधान)

(श्री गंगा प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री गंगा प्रसाद, मैं आपको सुनूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, पक्षपात नहीं होना चाहिये । हम लोग खड़े हुये हैं और इसलिये आप मेरी बात सुन लीजिये । आपने एलान किया सदन में कि कोई सदन में खड़ा होता है तो दूसरे को व्यवधान नहीं करना चाहिये । आपने अभी उनका पक्ष लिया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जब कि मैं अपनी बात कह रहा था.....

श्री अध्यक्ष—

आप को जो कहना हो, कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

यह जो सदन है इस का एक परिसर है । उस के अन्दर पी० ए० सी० या पुलिस को आने का कोई अधिकार नहीं है और अगर कोई आपने आज्ञा दी तब तो आप हम को सूचित कर दें ताकि हम लोगों को उस की जानकारी हो जाय कि आप की आज्ञा से पी० ए० सी० यहां आयी है ।

श्री अध्यक्ष—

वे परिसर के बाहर हैं या भीतर ?

श्री कमलासिंह यादव—

भीतर हैं । हम लोगों को आने में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं । दूसरी चीज यह है कि आप यह बार-बार कह रहे हैं कि सदन हम को चलाना है । तो उस के लिये नियम बने हुये हैं । अगर नियमों का पालन आप जैसे अध्यक्ष द्वारा, जो योग्य हैं और वकील भी हैं और इस आसन पर बैठे हैं आपके द्वारा इन नियमों का पालन न हुआ....

श्री अध्यक्ष—

कौन नियम ?

श्री कमलासिंह यादव—

सभी नियम। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धारा ३३ है, जो हमारी नियमावली की है, उसका पालन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

प्वाइंट आफ आर्डर का यह रूल है कि जिस समय वह बात हो उसी समय व्यवस्था का प्रश्न उठायें। इस समय जो कुछ आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। आपने दो बात उठायीं। आप बैठ जायं।

श्री कमलासिंह यादव—

जब प्रश्नों के लिये आपने नाम पुकारा, पहला नाम, तभी मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। इसके लिये कि हम को उत्तर नहीं मिला प्रश्नों का और आपने जबरदस्ती इतने लोगों को निकाल दिया और आप ने मुझे कहा कि बैठ जाओ। आप की आज्ञा पा कर मैं बैठ गया। अगर इस के बाद आप सदन को नहीं चला सकते तो....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या आप इस बात की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

हां, करूंगा। एक तो सवाल यह है कि प्रश्नों का उत्तर माननीय सदस्यों को समय से मिलना चाहिये। मैंने इस सदन में कहा है कि प्रश्न लिये जायेंगे। जो भी माननीय सदस्य यह आपत्ति करेंगे कि उन को समय से उत्तर नहीं मिला है उनके प्रश्न स्थगित कर दिये जायेंगे। यह मैं एक सुविधा दे सकता हूं और देने के लिये तैयार हूं। अगर कोई ऐसे महानुभाव हैं जिन को उत्तर न मिलने पर भी वह अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं और उस पर प्रश्न चाहते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं कर सकता।

रहा पी० ए० सी० के बारे में। मैं इसकी और जानकारी प्राप्त करूंगा कि पी० ए० सी० कहां कहां उपस्थित है और कितनी है उसके उपरान्त कुछ कह सकूंगा। अब मैं देख लूं, मुझे कुछ मालूम तो हो। जो आप कह रहे हैं, मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा के कारावासित किये जाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास मथुरा खंड १९ से एक सूचना आयी है कि श्री राधेश्याम शर्मा, सदस्य विधान सभा ने आज ४ बजकर, ४५ मिनट शाम को अतिरिक्त परगनाधीश की अदालत में आ कर बाधा डाली। ५० रुपया जुर्माना न देने पर उनको मथुरा जिला जेल ७ दिवस साधारण कारावास के लिये भेजा गया।

सुचारु रूप से सदन की कार्यवाही न होने के संबंध में आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय,.....

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आपकी कार्यवाही गोली और डंडे के जोर से नहीं होने पायेगी। जो प्रश्न रह गये हैं वह दोबारा आयेंगे या नहीं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं आपसे दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं, जरा सा सुन लें, अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन यह है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चले, यह हम सब चाहते हैं और सदन अगर न बैठे, सदन के अन्दर अगर कोई कार्यवाही न हो तो न हम सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ कर सकते हैं और न प्रदेश के अन्दर जनता की भलाई के काम हम कर सकते हैं। इसलिये हम अत्यन्त असमर्थ अपने को पाते हैं यहां की कार्यवाही न चलने देने के लिये। आज ऐसी घटना हुई जिसे आप संभाल नहीं सके और कार्यवाही को आप सही तरीके से चला नहीं सके.....

श्री अध्यक्ष—

यह जो बात आप कह रहे हैं यह बात इस समय नहीं हो सकती कि उससे कुछ निकलेगा। आप क्या कह रहे हैं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आप जरा-सा ठंडे दिल से सोच लें। मुझे कहने का तो अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

आप जो भी प्रश्न उठायें या आपका व्यवस्था का जो प्रश्न हो वह उपस्थित कार्यक्रम से संबंधित हो। जो बात हो चुकी उस बात को अगर आप उठाना चाहते हैं तो मैं नहीं उठाने दूंगा। यह नियम के विरुद्ध है कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि जबसे यह विधान सभा बैठी, हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको नहीं मिलते, प्रश्न हम दूसरे नये लिखकर दे नहीं सकते, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। एकाउंट सेक्शन गड़बड़ पड़ा है और उस तरीके से बिधान सभा की जो कार्यवाही है वह सही तरीके से रिपोर्ट नहीं होती, हो नहीं सकती, और इस तरीके से जितने कर्मचारी यहां काम करने वाले हैं, जो जानकार हैं और अनुभवी हैं वे सब यहां काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये विधान सभा की कार्यवाही तो अपने आप जबरदस्ती चला रहे हैं, चल नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव क्या है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सरकार को ऐसा अवसर दे रहे हैं कि वह इन कर्मचारियों के ऊपर और ज्यादती करे, इनको यहां और .....

श्री अध्यक्ष—

आप ऐसी बातें कर रहे हैं ? जो इस सदन के संबंध में हों, वह कहें। आपका प्रस्ताव क्या है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो यह हड़ताल चल रही है जब तक इसका कोई समुचित हल न हो, जब तक असेम्बली न चले—क्योंकि यह जो असेम्बली चल रही है यह कोई चलने में शामिल नहीं है। आप डंडे से हांक रहे हैं जैसे किसी बैल को कांटा मार कर चलाते हैं, उसी तरह हो रहा है। सवेरे से कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

जो जो आप बातें कह रहे हैं यह अव्यवस्थित हैं। सिर्फ आपका प्रस्ताव यह है कि वर्तमान स्थिति में सदन की बैठक स्थगित की जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जी हां। आप मेरी बात सुन लीजिये.....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है ....

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा कहना यह है कि सवेरे हम लोगों ने यह मांग की थी कि १५–२० मिनट के लिये यह सदन स्थगित हो जाय और इस प्रश्न पर सरकार के लोग और हम लोग बैठ कर विचार करें कि कैसे इस स्थिति को कन्ट्रोल में किया जाय। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें और विरोधी दल के नेताओं को तथा सरकारी पक्ष को अपने सामने बिठाल कर विचार-विमर्श करें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न माननीय हरीशकुमार जी निवेदन कर रहे हैं, जहां तक इसमें मेरा संबंध है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि सदन की कार्यवाही यथा शक्ति ठीक प्रकार से लिखी जाय। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि एकाउन्ट्स वगैरह का काम भी ठीक रखा जाय और उसके लिये सारे प्रयत्न हो रहे हैं। अब उनमें कहां तक असफल रहा है, यह तो दो-एक दिन में पता नहीं चल सकता, लेकिन मैं उसको देखूंगा।

रहा यह कि आप नेतागण बैठ जायं और बात कर लें, तो यदि ऐसा हो तो मुझ से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। यदि यहां का वातावरण शान्त हो जाय, यदि ऐसा वातावरण हो जाय कि शान्त वातावरण में विचार-विनिमय हो सके, तो इससे बढ़ कर प्रसन्नता मेरे लिये और क्या होगी। लेकिन यह कि मैं किसी से कहूं कि आप लोग मेरे साथ बैठिये और बात कीजिये, मैं समझता हूं कि यह अधिकार मुझे नहीं है कि मैं ऐसे आदेश दे सकूं। लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि आप लोग बैठ कर तय करें। (व्यवधान) आप जब मेरे सामने यह कहते हैं कि जब तक किसी विशेष व्यक्ति को निकाला न जाय, जब तक कि उनकी मांगें पूरी न हो जायं आदि आदि, तो यह बातें ऐसी हैं कि जिनके संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पर तो राज्य सरकार ही कुछ कह सकती है।

(व्यवधान)

अब अगर आपकी तरफ से यह प्रश्न आता कि हम यह चाहते हैं कि सभी विरोधी दल के नेता और सरकार के लोग बैठ कर इस विषय पर बात करें और यह सदन थोड़ी देर के लिये स्थगित कर दिया जाय, तो मैं उस पर विचार कर सकता था। ऐसा कोई स्पष्ट प्रश्न मेरे सामने नहीं रखा गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह प्रश्न तो सरकार को रखना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

मैं यहां सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये बैठा हूं। सभी के अधिकारों का संरक्षण करना, चाहे वह इधर के हों अथवा उधर के, मेरा कर्त्तव्य है, और सब के अधिकारों का आदर करना आप सब का भी कर्तव्य है। जब ऐसा होगा तभी आपके अधिकारों का भी संरक्षण होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आपने बीसियों बार सदन को स्वयं स्थगित किया है जब-जब ऐसी परिस्थितियां आयी हैं और गड़बड़ी हुई है (व्यवधान) । आपको १५ मिनट के लिये सदन स्थगित करना चाहिये था । उसका प्रश्न भी यहां रखा गया . . .

श्री अध्यक्ष—

कोई प्रस्ताव १५ मिनट के लिये सदन को स्थगित करने का नहीं आया । अब यह विषय समाप्त ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं तो यह प्रस्ताव करता हूं कि आप सदन छोड़ दें बजाय इसके कि हम सदन छोड़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप आक्षेप कर रहे हैं । आप सदन छोड़ें ।

(सदन न छोड़ने पर)

(व्यवधान)

मार्शल, आपको सदन से बाहर ले जायं ।

(श्री हरीशकुमार गंगवार सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रजातन्त्र की सरकार है । इसमें प्रजातन्त्र की रक्षा की जानी चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश की जो स्थिति है उससे आप स्वयं भयभीत हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण कर रहे हैं या यह आपका व्यवस्था का प्रश्न है ? आप सदन छोड़ें । मार्शल, आपको बाहर ले जायं । (व्यवधान)

(श्री मुकुटबिहारीलाल सदन से निष्कासित किये गये ।)

कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कुंवर श्रीपालसिंह जी, आपने इसकी प्रतिलिपि माननीय राहत मौलाई को दे दी है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री बेदराम (जिला एटा)—

लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये या सदन छोड़ें ।

(न बैठने पर—श्री बेदराम सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, आप लाठी गोली के बल पर सदन चलाना चाहते हैं । एक तरफ कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । अगर आप बैठते नहीं ह तो आप सदन छोड़ने की कृपा करें।

(श्री रघुनाथ सिंह सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री अध्यक्ष—

कुंवर श्रीपाल सिंह जी, आपने इसकी प्रतिलिपि राहत मौलाई को दे दी है या नहीं ?

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

मिली या नहीं मिली, मैं नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की सूचना मेरे पास आई है। मैं चाहता था कि नियमानुसार मैं राहत मौलाई साहब से इस संबंध में बात कर लेता किन्तु.....

श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस तरह की व्यवस्था दी थी कि जहां तक संभव होगा सदन में व्यवस्था रखी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवनाथ सिंह जी, आप कृपा कर के बैठ जाइये ।

श्री शिवनाथ सिंह—

काउंसिल हाउस के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय शिवनाथ सिंह को सदन से बाहर ले जायं ।

(श्री शिवनाथ सिंह सदन से निष्कासित किये गये ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रीपालसिंह जी, इसकी एक प्रतिलिपि आप हमको दे दीजिये ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जरा सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा बैठ जायं । पहले मैं इसको समाप्त कर लूं ।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रदेश में इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री मंगलदेव—

बैठने का सवाल नहीं है । आप पुलिस के बल पर सरकार नहीं चला सकते ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके सदन छोड़ें। (सदन न छोड़ने पर) मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जायं।

(श्री मंगलदेव सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि सदन में कोई काम नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

अब रामकिशोर जी की तबियत नहीं लग रही है। आप कृपा कर के बैठ जायं अथवा सदन छोड़ें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामकिशोर त्रिपाठी सदन से बाहर चले गये।)

श्री दौलत लाल (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आज जो सदन में स्थिति है और जिस स्थिति में सदन की कार्यवाही चल रही है, न रिपोर्टिंग ठीक की जा रही है और न हमें उसकी प्रतिलिपियां ही मिल रही हैं। १७ जुलाई को जो लाठी चार्ज का काण्ड हुआ उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिये सरकार कोई बिचार नहीं कर रही है। माननीय सदस्य भी जेलों में बन्द हैं, जो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप या तो बैठ जायं या सदन छोड़ें।

श्री दौलतलाल—

मैं सदन छोड़ता हूं।

(श्री दौलतलाल सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह सदन तब तक नहीं चल पायेगा जब तक राजकीय कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं।

(व्यवधान—श्री मतोला सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, आप दोनों माननीय सदस्यों की बाहर जाने में सहायता करें।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

आप लोग तानाशाही और गोली के बल पर इस सरकार को चलाना चाहते हैं, यह इस प्रकार नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि आप सदन छोड़ें या बैठें। जो लोग इस प्रकार बोलेंगे वे सदन छोड़ें ?

(श्री भीमा प्रसाद और श्री मतोला सिंह सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री केशरी प्रसाद पान्डेय (जिला जौनपुर)—

आपने अभी कहा है कि जो लोग बोलने के लिये खड़े हों, वे सदन छोड़ें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर किस लिये आये हैं ? हमको यहां पर जनता ने किस लिये चुनकर भेजा है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर अनियमित रूप से बोलेंगे तो सदन छोड़ना पड़ेगा। जो सदस्य खड़े हों और मैं उनका नाम पुकारूं तो वे बोलें लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूं वे अपना आसन ग्रहण करें।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, जो लोग खड़े होते हैं, जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं उनसे आप कहते हैं कृपा कर के सदन छोड़ें। तो हम आपके ऊपर कृपा कर के सदन छोड़े देते हैं।

(श्री भानु प्रताप सिंह सदन छोड़कर चले गये।)

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सदन ठीक प्रकार से चल रहा है ? अगर नहीं चल रहा है तो आपस को बन्द करें और विचार करें और फिर बैठें, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि सदन ठीक तौर से चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सदस्यों द्वारा अव्यवस्था हो रही है और इस वजह से मैं मजबूर होकर यह सारी कार्यवाही कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह कृपा कर बैठ जायं।

श्री शारदानन्द—

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष—

तो आप सदन छोड़ें।

(सदन न छोड़ने पर—श्री शारदानन्द सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री शशिभूषण सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं तो बता दूं।

श्री शशिभूषण सिंह—

आप जो सब को निकाल रहे हैं तो इस तरह से प्रजातन्त्र चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

तो क्या आप इस तरह से बीच-बीच में बोल कर बाधा डालेंगे ? आप कृपया बैठें अथवा सदन छोड़ें ।

श्री शशि भूषण सिंह—

मैं सदन छोड़ रहा हूं ।

(श्री शशि भूषण सिंह सदन से बाहर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके सामने विशेषाधिकार की सूचना पढ़ रहा था । निम्नलिखित विषय पर माननीय हलीमुद्दीन राहत....

श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज दो महीने पहले से हमारे प्रदेश की हालत बहुत गंभीर हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के आसन ग्रहण करें या सदन छोड़ें ।

(बराबर बोलते रहने तथा सदन न छोड़ने पर)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, आपको सदन से बाहर ले जाया जाय । आप कृपा कर सदन छोड़ें ।

(श्री झिलमिट राम को निष्कासित किया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

दिनांक १८ जुलाई, १९६६ को जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो दर्शक दीर्घा में इब्राहीम परवेज नामक व्यक्ति ने सदन में कुछ पर्चे फेंके जिनका शीर्षक था "उर्दू या मौत" । इस कृत्य के लिये सदन ने उनको सदन के अवमान के लिये दोषी पाया और उन्हें १५ दिनों के कारावास का दन्ड दिया है । दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिये श्री परवेज को जो प्रवेश-पत्र मिला वह श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, सदस्य, विधान सभा, ने विधान सभा सचिवालय से जारी करवाया था । दीर्घाओं के जाने के प्रवेश पत्र माननीय सदस्यों की मांग पर ही जिनके नाम नामांकन-पत्र पर लिखे रहते हैं उनको दिये जाते हैं । स्पष्ट है श्री परवेज का प्रवेश पत्र राहत मौलाई द्वारा ही जारी कराया गया । यह बात उसके पास पाये गये फार्म पर जारी कराये जाने वाले सदस्य के नाम के खाने में राहत मौलाई का नाम होने से सिद्ध होती है । श्री परवेज ने सदन में अपनी बचत में यह माना है ....

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में मुझे नहीं रोक सकते । कृपा कर बैठ जायं या सदन छोड़ें ।

श्री बसन्तसिंह—

एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं रुकूंगा। आप बैठ जाइये या सदन छोड़ें। आप शोर में मुझे नहीं रोक सकते।

(श्री बसन्त सिंह सदन छोड़कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

श्री परवेज ने सदन में अपने बयान में भी यह बात मानी है....

श्री गिरवर प्रसाद (जिला एटा)--

अध्यक्ष महोदय, कृपा कर यह बतलाइये कि यह तो कानून बनाने वाली सभा है.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर शान्त रहिये। आप बैठिये अथवा सदन छोड़ें।

(श्री गिरवर प्रसाद ने सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष--

श्री परवेज ने सदन में अपने बयान में भी यह माना है कि वह राहत मौजाई को जानते हैं.....

श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर शान्ति पूर्वक बैठ जाइये या सदन छोड़ दें।

(श्री चन्द्रपाल ने सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष--

श्री राहत मौजाई उर्दू मुहाफिज दस्ते के सदस्य हैं। जो पर्चे फेंके गये उनका विषय उर्दू को सरकारी भाषा मानने से संबंधित है। इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि श्री राहत मौजाई का सदन में इन पर्चों को फेंकने में हाथ था और कोट करके किताब से...

श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)--

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में इतना बड़ा संकट छाया हुआ है और यह सरकार डिक्टेटरशिप करती है, सदन के अन्दर लाठी चार्ज कराती हैं, ये कांग्रेस वाले अपनी कुनबा-परस्ती करते हैं------

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्ना लाल जी,...

श्री मन्नालाल--

जहां-जहां चकबन्दी हुई है, सारे किसानों के खेत छीन लिये गये हैं ...

श्री अध्यक्ष--

यह सब बातें तो--

(व्यवधान)

आप बैठिये अथवा कृपा करके आप सदन छोड़ें।

(व्यवधान)

श्री मन्ना लाल--

मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार को फौरन त्याग-पत्र देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया सदन छोड़ें।

(सदन न छोड़ने पर) मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जायें।

(श्री मन्नालाल सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री अध्यक्ष--

परवेज....

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में आज पुलिस राज्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठे अथवा सदन छोड़ें।

श्री अध्यक्ष--

परवेज ने किया। आज आपके द्वारा सदन से निवेदन है कि विधान सभा सदस्यों की हैसियत से-----

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश में ....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए या सदन छोड़िये।

(सदन न छोड़ने पर) मार्शल, माननीय सदस्य को बाहर ले जायं।

(श्री गंगाप्रसाद सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री अध्यक्ष--

हलीमुद्दीन राहत मौलाई के विरुद्ध भी सदन के अवमान की कार्यवाही शुरू की जाए। नियम यह है कि अगर वह सदस्य जिसके विरुद्ध शिकायत हो, सदन के सदस्य हों तो उनसे पहले अध्यक्ष बातचीत कर लेंगे और उन्हें माननीय सदस्य स्पष्टीकरण देंगे। ऐसी अवस्था में मैं प्रबन्ध करूंगा....

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष--

आप तो बहुत कह चुके हैं। इसको मैं समाप्त कर दूं तो आप कुछ कह सकते हैं। इसकी प्रतिलिपि मैं उनके पास भेज दूंगा। तब उसके बाद जो कार्यवाही उचित होगी वह मैं करूंगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

श्रीमन्, अब आप समाप्त कर चुके ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अभी आप और बैठें ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, वे जो फोटो ले रहे थे (व्यवधान) सदन की अवहेलना हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नहीं देखी । रिपोर्ट आयी है कि कोई फोटो ले रहे हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

अभी भले ही आपने न देखा होगा लेकिन एक सज्जन फोटो ले रहे थे । आपने सदन के सामने कहा था कि वह आदमी सदन के सामने उपस्थित किया जाय और आप एक ओर सदन की गरिमा की बात करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैंने कहा है कि हमारे सामने पेश होगा । इसके मतलब यह नहीं है कि सदन के सामने पेश हो ।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं कह रहा हूं कि वह बात आपके सामने जब तक न आये तब . . .

श्री अध्यक्ष—

जब वह न आये तभी शिकायत कीजियेगा । अभी मुझे सारे तथ्य मालूम नहीं हैं . . .

श्री दीपनारायणसिंह—

वह सदन के सामने लाया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहां कह रहा हूं कि वह न आवे ? हम उसे छोड़ तो नहीं रहे हैं । मैंने कहा कि उसको हिरासत में ले लिया जाय । कौन शख्स है, हम उसको देख तो लें ।

श्री दीपनारायणसिंह—

इसी समय उसको सदन के सामने लाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, वह आयेगा, वह मेरे सामने आयेगा । आप घबड़ाइये नहीं ।

एक सदस्य—

वह कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह कैसे बता दूं कि वह कब आयेगा ? लेकिन वह आयेगा जरूर, देखें वह कौन हैं, आप घबड़ाइये नहीं ।

श्री दीपनारायण सिंह—

हमें शुबहा है—

श्री अध्यक्ष—

सब आपके सामने आयेगा, घबड़ाइये नहीं, बैठिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—

हमें शुबहा है कि सचिव महोदय उसको न ला सकेंगे। आप जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तब तक मैं बैठना नहीं चाहता ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक प्रश्न व्यवस्था का है। (श्री दीपनारायण सिंह बैठ गये।) मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जितने सदस्य यहां हैं उनका यह मौलिक अधिकार है और उन लोगों को सदन की कार्यवाही से वंचित नहीं रखा जा सकता। आपने कल भी और परसों भी सरकार को आदेश दिया था कि जितने लोग डिटेंशन में हैं, १२६ में जिनकी सजा हुई उनको मैं नहीं कहता, लेकिन १०७–११७ और १०७–११२ में या डिटेंशन ऐक्ट की मातहत १२ जुलाई के बारे में बन्द किये गये उनको किसी कानून के अन्तर्गत जेलों के अन्दर नहीं रखा जा सकता। आपने सरकार को आदेश दिया था लेकिन सरकार ने आज तक किसी को छोड़ने की कोशिश नहीं की ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आदेश यह नहीं दिया था कि उनको छोड़ दिया जाय। मैंने तो यह कहा था कि जो फौजदारी कानून में गिरफ्तार किये गये हैं उनके संबंध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री कमलासिंह यादव—

'कानून के अन्तर्गत' का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर कानून के अन्तर्गत नहीं बन्द किये जा सकते हैं तो आप बाहर जाकर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

आप यहां पर किस लिये बैठे हैं ? अगर आप नियमानुसार सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते तो आप यहां पर ऐसे आदमी को बैठाइये जो सदन की कार्यवाही चला सके ।

श्री अध्यक्ष—

मैं किस नियम के अन्तर्गत उन्हें छोड़ दूं ?

श्री कमलासिंह यादव—

अगर आप सदन की कार्यवाही ठीक तरह नहीं चला सकते हैं तो हमारी आप से यह प्रार्थना है कि आप उपाध्यक्ष जी को यहां पर आने दें ताकि सदन की कार्यवाही हम लोग ठीक ढंग से चला सकें ।

श्री अध्यक्ष—

अब कृपया बैठें ।

श्री कमलासिंह यादव—

हम तो आपसे नियम के अन्दर ही बातें कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप कह रहे हैं वह मेरे अधिकार की बात नहीं है। मैं सरकार को यह आदेश नहीं दे सकता कि वह अमुक को छोड़ें और अमुक को न छोड़ें।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर ऐसी बात है तो हमारे यहां बैठने से क्या लाभ है?

श्री अध्यक्ष—

आप यह चाहते हैं कि मैं सरकार से यह कहूं, तो यह कैसे हो सकता है?

श्री कमलासिंह यादव—

हमने आपसे निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जायं। जो बात आपने कही उसका उत्तर दिया जा चुका है और उस पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। आप फिर उसी बात पर बहस कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

कोई भी व्यवस्था अध्यक्ष के सामने रखी जाय उसी वक्त उसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

एक बात आपने मेरे सामने रखी, उसको मैंने अस्वीकार कर दिया। बात खत्म हो गई। अब आप बैठ जाइये।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर आप इस प्रकार से हमारी आपत्ति पर अपनी सही व्यवस्था नहीं दे सकते तो फिर हम लोगों का यहां पर बैठने से क्या लाभ है और क्या हम जनता की सेवा कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप नहीं बैठते, तो सदन छोड़ें।

श्री कमलासिंह यादव—

जब कोई लाभ नहीं है तो मैं जाता हूं।

(श्री कमलासिंह यादव सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूं। इस समय जब आपको जान का भय है और जब यहां पी० ए० सी० मौजूद है, यह हमारे लिये लज्जा की बात है। मैं चाहूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब सुनना नहीं है। एक ही बात को दो, तीन, चार, पांच बार कहना कोई.....

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

सरकारी कर्मचारियों को पिटवाया गया और इसके बाद भी आप चाहते हैं कि व्यवस्था रहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मोहिले जी, या तो आप आसन ग्रहण करें या सदन छोड़ें ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मैं सदन छोड़ दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

सबेरे से आप लोगों ने व्यवधान डाला और काम नहीं होने दिया । आप सदन छोड़ें ।

(व्यवधान)

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िये । हो गया । जब आप नहीं मानते तो मैं क्या कहूं ? आप अव्यवस्था कर रहे हैं । आप सदन छोड़ें । अब आप कृपा करके जायं ।

(श्री कल्याणचन्द मोहिले सदन से निष्कासित किये गये ।)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान कार्यालय में पुलिस द्वारा कथित लाठी-चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है जो कल के लाठी चार्ज से संबंधित है। मैं इस कार्य स्थगन-प्रस्ताव को कार्य-स्थगन के रूप में न ले कर नियम ५२ में लेता हूं । माननीय माधव प्रसाद और रामसुन्दर जी मौजूद नहीं हैं । माननीय टम्बेश्वर प्रसाद मौजूद हैं । उनका इस प्रकार से है : "कल दिनांक १९ जुलाई को लखनऊ स्थित. . ."

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं यह समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष को नेता विरोधी दल ने एक तीसरा आवश्यक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है । मैं जानता हूं कि इस समय वह सदन में नहीं हैं और नहीं क्यों हैं यह भी आप जानते हैं । ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को लेने का जब कि वह यहां नहीं है और यह कह देना कि उस रूप में नहीं लिया तो सरकार को न कोई आपत्ति नहीं करने का मौका है और न आपत्ति है । उन्होंने तो तय कर लिया है कि वह लाठी-गोली चलावेंगे । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार और यह गुट नहीं मालिक है इस प्रदेश का । इस प्रदेश का मालिक यह सदन है और सदन में गोली लाठी चलाने के लिये या तो उसको. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप नियम ५२ में. . . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों की बात--इसका तो एक ही मतलब है कि कल अगर आपने सुना होगा कि जो स्थिति है उसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता । मैं आपसे पूछता हूं कि आप ईमानदारी से आप तिवारी ग्रुप से पूछें कि क्या यह सरकार चल रही है । कोई कार्य-स्थगन का मौका तो आप देंगे ही नहीं । आप कहते हैं कि नियम ५२ में ले लेते हैं, क्यों ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसलिये ले रहा हूं कि इस समय आपके यहां कोई है नहीं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

न कार्य-स्थगन में लेते हैं, सुनते हैं। आप नियम ५२ में स्वीकार करते हैं। उनसे पूछ लें। यदि आपत्ति न करें तो आप ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

"कल, दिनांक १९ जुलाई को लखनऊ स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान कार्यालय के प्रांगण के भीतर घुस कर पुलिस ने स्थानीय राजकर्मचारियों पर निर्मम लाठी-चार्ज किया। परिणामस्वरूप ७ लोग घायल हुये। एक की हालत चिन्ताजनक है। सबसे लज्जा की बात तो यह है कि मुख्य अभियन्ता के स्पष्ट मना करने के बाद भी पुलिस जबरदस्ती कार्यालय की चौहद्दी में गयी तथा उसने जान-बूझ कर उत्तेजनात्मक वातावरण उत्पन्न किया। कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह मारा। इस घटना से पूरा प्रदेश...."। इस पर कब वक्तव्य दिया जायगा, माननीय मंत्री जी ?

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। वह यह है कि यह सदन आज ११ बजे से आरम्भ हुआ, जैसे कि होता है और आपके आते ही नेता विरोधी दल ने कुछ बातें... सरकार को यह सुझाव रखा कि यह जो घटनाएं सरकारी कर्मचारियों पर चल रही हैं उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। यह ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

वह विषय समाप्त हो गया है, प्रस्तुत विषय पर अगर आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री रामअधार कनौजिया--

मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने इस विषय की गंभीरता को समझा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर इसी पर बयान देना है तो आप समय नष्ट न कीजिये। आप कृपया बैठिये।

श्री रामअधार कनौजिया--

मैं यह पूछता हूं कि न्यायिक जांच होगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिये, वरना सदन छोड़िये।

श्री रामअधार कनौजिया--

आप न्याय नहीं देना चाहते, इसलिये मैं सदन छोड़ रहा हूं।

(श्री रामअधार कनौजिया सदन छोड़कर चले गये।)

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मुझे कुछ, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है। इस सदन में बैठकर सरकार अगर काश्तकारों को पानी नहीं दे सकती, अपने कर्मचारियों को रोटी नहीं दे सकती.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें (व्यवधान) आप नहीं बैठ रहे हैं तो कृपया बाहर जायं।

श्री विजयपालसिंह--

मैं बाहर जा रहा हूं ।

(श्री विजयपालसिंह सदन से बाहर चले गये ।)

प्रिज़न्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

मैं, अध्यक्ष महोदय, प्रिज़न्स (उत्तरप्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

कल मैंने नियमावली के नियम ३०१ के अन्तर्गत एक विस्तृत पत्र लिख कर आपको दिया है । उस पर आपने अभी तक अपनी कोई आज्ञा नहीं दी । आप कृपया नियम ३०१ को पढ़ लें । उस पर हमको अनुज्ञा देना आपका काम है । हमें अनुज्ञा दीजिये । यह हम लोगों के अधिकार की आप अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो लिखकर दिया है उसका मैंने अध्ययन किया । आपने जो आपत्ति उठाई है वह ठीक नहीं है । मैंने उस पर कहा है कि माननीय सदस्य मुझसे मिलें ताकि विमर्श करके मेरी कोई गलती हो तो उसे देख सकें ।

श्री रघुनाथसिंह---

आपत्ति बिल्कुल ठीक है, अध्यक्ष महोदय । हिन्दी के मामूली पढ़े-लिखे आदमी के लिये भी वह ठीक है और आप फैसला देते हैं कि आपत्ति ठीक नहीं है । आपने इस तरह तीन-तीन धाराओं की अवहेलना की है ।

श्री अध्यक्ष---

आप अनर्गल बात कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथसिंह---

मेरा विचार है कि आपने ३०१ को नहीं पढ़ा है । मैं तो इतनी देर तक इसी इन्तजार में बैठा था ।

श्री अध्यक्ष---

जो अब आप कह रहे हैं उसे मैंने सुन लिया । ३०१ का जो शीर्षक है और जो आपका प्रश्न है उसको आप देखें । उसमें यह है---"३०१-ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो---जो सदस्य सदन की जानकारी में ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा" । आपने पूरे पत्र में यह लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३०१ के अनुसार सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि विधान सभा की १८ जुलाई, १९६६, की कार्यसूची में क्रमांक १५ पर मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव ठीक ढंग से नहीं किया है । आपने औचित्य का प्रश्न उठाया है ।

श्री रघुनाथसिंह---

अब आप दूसरी गलती करते हैं । जो सूची के प्रश्न हैं उनको आप देखिये । औचित्य की बात आप कह रहे हैं, यह बहुत अपमानजनक बात आप कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप बैठते नहीं हैं तो आप सदन छोड़ें। (न बैठने पर) आप सदन छोड़िये।

(व्यवधान)

आप कृपा करके सदन छोड़िये। मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जायं।

(श्री रघुनाथसिंह को सदन से निष्कासित किया गया।)

श्री बंशीधर पाण्डेय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रिज़न्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६.....

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न। आप दूसरों को तो उपदेश देते हैं लेकिन आप यहां व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आपके इसी कुर्सी पर रहते हुये उधर से जो धमकी दी गयी है वह आपने अपने कानों से सुनी। उन्होंने साफ कहा कि उधर के सदस्यों को भी उसी प्रकार से देखा जायगा जिस प्रकार से कर्मचारियों को देखा जा रहा है। आपको तो केवल अपनी कुर्सी से मोह है। जिस तरह से उन्होंने कहा, क्या आपने उसको सुना नहीं? काम की बात आप कहां सुनते हैं?

श्री अध्यक्ष---

आप बताइये किसने कहा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

सदन की मर्यादा को भंग आपके सामने ही किया गया है। आपको अपनी कुर्सी का मोह है।

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

क्या आपके कान बहरे हो गये थे?

श्री अध्यक्ष---

आप अपने लफ्जों को वापस लें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

नहीं लेते।

श्री अध्यक्ष---

तो सदन छोड़िये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

नहीं छोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जायं।

(श्री हरिनाथ तिवारी को सदन से निष्कासित किया गया)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिये । वह यह है.....

श्री अध्यक्ष---

अगर आप काम नहीं चलने देना चाहते हैं तो सदन छोड़ें । (कुछ ठहर कर) मार्शल, माननीय सदस्य को बाहर ले जायं ।

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय को निष्कासित किया गया ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सदन के बाहर नहीं गया हूं । मेरे आप से केवल ३ निवेदन हैं । अगर कोई भी घटना हो जाय और अगर हम यह कहें कि यह सरकार की घटना नहीं है तो क्या हो । मुझे केवल यह कहना है कि कर्मचारिगण जो आपकी नाक के नीचे बैठे हैं और जिन्होंने लाठी चार्ज होते हुये देखा है, उनसे कहलवा दूं ? इस पर भी अगर सरकार कहे कि लाठी-चार्ज नहीं हुआ तो आपसे इतना निवेदन कर दूं.....

श्री अध्यक्ष---

तो मैं क्या करूं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अगर हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं तो आप फैसला कर दें कि हम करें या न करें ? ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने मेनिपुलेशन किया है, उन्हें इस प्रदेश से जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो लायें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, आप मेरा निवेदन तो सुन लें । आपने इसी सदन में कहा है कि जब किसी भी समय नेता विरोधी दल सदन के वातावरण से क्षुब्ध होंगे, आप सदन को उठा देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें या सदन छोड़ें ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आपकी ऐसी घोषणा थी । मैं तो सदन इसी तरह छोड़कर चला जाऊंगा । आपकी यह व्यवस्था हो चुकी है कि यदि सदन के वातावरण से माननीय विरोधी दल के नेता क्षुब्ध होंगे तो आप सदन को स्थगित कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

यह मेरी व्यवस्था कभी नहीं हुई है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अगर आपने यह कहा हो तो केवल आप कुर्सी छोड़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसी बात मान ली जाय तो इसका मतलब यह है कि विरोधी दल के नेत के क्षुब्ध होने पर सरकार का काम और प्रदेश का काम खत्म हो जाय। आप चाहते हैं कि सदन का का खत्म हो जाय ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

प्रदेश का काम क्या मैंने समाप्त किया है ? यह समाप्त हुआ है सरकार की नीतियों से।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस समय सदन में माननीय अली जहीर, माननीय राम मूर्ति और माननीय नेगी जी आदि उपस्थित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे यहां पर क्या काम कर रहे हैं।

मैं पूछना चाहता हूं सामूहिक रूप से.....

श्री अध्यक्ष—

आप कह रहे हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही चलती रहेगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सदन केवल इसलिये है कि ४ रिपोर्टर यहां की रिपोर्टिंग करते रहें ?.....

श्री अध्यक्ष—

इसलिये नहीं है कि आप सदन की कार्यवाही अपने मन से रोक दें। आप या तो बैठें या सदन छोड़ें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मुझे रोकना होता तो दो रोज पहले सदन में आया होता।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, श्री टम्बेश्वरप्रसाद को सदन से बाहर ले जांय।

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद सदन से निष्कासित किये गये।)

श्री जगदीश प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

इस प्रकार से विरोधी दल को बाहर निकाल कर सदन की कार्यवाही किस तरह से चला सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें अथवा सदन छोड़ें।

(श्री जगदीशप्रसाद पांडेय सदन छोड़कर चले गये।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो वाक्य कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

दो वाक्य क्या कहेंगे ? सभी शुरू से एक बात कह रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

पहला वाक्य तो यह है कि सरकार के दो पहिये होते हैं, एक पहिया मंत्रि मंडल और एक पहिया कर्मचारी, और इसमें से एक पहिया टूट गया। इसी तरह से सदन के दो पहिये होते हैं, सरकारी पक्ष और दूसरा पहिया विरोधी पक्ष। इसमें भी एक पहिया टूट गया। लिहाजा सरकार का छकड़ा बिलकुल चल नहीं सकता। इसलिये, श्रीमान जी, मैं जाता हूं।

(कुंवर श्रीपालसिंह सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं वकील हूं, मैं मार्शल और पुलिस वालों को टच नहीं करने देना चाहता। चूंकि विरोधी पक्ष में हूं और जनतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष को यहां से हटाया गया है, स्वेच्छा से नहीं, और मैं सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांगों से सहमत हूं.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कई मर्तबा कह चुके हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—

यद्यपि मैं बहुत सी चीजों में, जो तरीके हैं उनसे सहमत नहीं हूं.....

श्री अध्यक्ष—

दो घंटे का इस सदन का समय लिया गया और कोई काम नहीं करने दिया, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने सदन की मर्यादा को भंग किया है।

श्री दीपनारायणसिंह—

अगर आप चाहते हैं कि कोई बोले न, तो याद रखिये जर्मनी में हिटलर को उखाड़ दिया गया और.....

श्री अध्यक्ष—

आप जाइये।

(श्री दीपनारायणसिंह सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

अगर आज कोई ऐसी घटना हुई होती कि जिस घटना के फलस्वरूप विरोधी दलों को शिकायत होती, तो मैं यह समझता कि विरोधी दलों का सदन को छोड़ने का व्यवहार या जो व्यवधान उन्होंने किया है सत्य है। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पहले से साजिश कर के आपस में एक मत हो कर एक इरादे से विरोधी दल आया। उसने अपनी मांगें वही पेश कीं जो कि पहले पेश कर चुके हैं। उनको मालूम था कि राज्य सरकार का क्या उस संबंध में विचार है। उसको ले कर आज मुझे खेद से कहना पड़ता है कि विरोधी दल ने इस सदन के दो घंटे व्यर्थ में खराब किये। मैं समझता हूं कि बहुत से तरीके हो सकते थे कि जिन तरीकों से वह अपने विचार इस आदरणीय सदन के समक्ष रखते और विचार-विमर्श करके कल के अपने प्रस्ताव पर सरकार को राजी करते, न कि इस प्रकार तरीका इस सदन में बरतते जिससे हम मजबूर हो जायं कि और कोई काम न कर सकें। मैं समझता हूं कि सदन की मर्यादायें इस तरह से सुरक्षित नहीं रह सकतीं। इस तरह से जैसा कि वह सोचते हैं उनके चले जाने से, न कोई विशेष काम होता है और न हमारे प्रदेश की भलाई होगी। साथ ही साथ वह सदन के बाहर जाते हुए, केवल सरकार के ऊपर ही नहीं, बल्कि जो सदन के कार्य संचालन से संबंधित हैं, उन पर भी आक्षेप करते हैं, यह और भी खेद का विषय है। मैं जरूर चाहूंगा कि विरोधी दल इस बात पर ध्यान दे और उन तरीकों को अख्तियार करे कि जिन तरीकों से सरकार भी उनकी बातों को सुने और समझे, लेकिन जिन तरीकों को वह

अख्तियार कर रहे हैं, वे तरीके ऐसे हैं कि जिनसे उन तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि जो हमारे प्रदेश का अहित कर सकते हैं, उसमें अव्यवस्था कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि विरोधी दल इन बातों पर ध्यान दे कर इस सदन को चलाने में मदद करेगा।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधयक, १९६६, को पुरःस्थापित करने के लिये यह सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०८–२०९ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है। उसमें कंसालिडेशन ऐक्ट में जो प्राविजन था कि जब कंसालिडेशन नोटिफिकेशन हो जाय तो जितने कर हैं वे सब स्थगित हो जायं और उसके फलस्वरूप यह हुआ कि उनके स्थगित होने से तमाम बकाया हो गया है। उसे हम तरमीम करना चाहते हैं ताकि बकाया खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २,३,१, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी संशोधन अधिनियम, १९५३ को आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६६, कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४, की धारा ५ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की वर्तमान धारा ५ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय; और—

(१) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) का खण्ड (ख) निकाल दिया जाय; और:—

(२) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्.....

"(२) धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति के उक्त प्रकाशन के फलस्वरूप विज्ञप्ति से सम्बद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमन हो जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश सम्बद्ध पक्षों को डाक से अथवा किसी अन्य रीति से नोटिस दिये बिना और उनकी सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रद्द हो जायगा;

(ख) ऐसे उपशमन से उक्त वादों अथवा कार्यवाहियों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४, की धारा २९-ग का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २९-ग में—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा ११७ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसी भूमि पर लागू होंगे मानो कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गयी थी और मानो कि घोषणा इस धारा की उपधारा (१) में निर्दिष्ट उपयोगिता के शर्तों के अधीन रहते हुए की गयी थी;

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब कोई कार्य शेष नहीं है, अतः हम उठते हैं और ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२० जुलाई, १९६६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ २०५ पर)

प्रिजस उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, १९६६

ऐक्ट संख्या ९, १८९४

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४, को आगे दिए गए प्रयोजनों के लिए संशोधित करने के लिए तथा उनसे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६६, कहलाएगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

धारा ३ का संशोधन

२—प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ के खण्ड (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रक्खा गया समझा जाय, अर्थात्:—

(७) "महानिरीक्षक" का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक से है, और महानिरीक्षक के ऐसे कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन किसी कारागार उप महानिरीक्षक को सौंपे जायें उसके अन्तर्गत ऐसा कारागार उप महानिरीक्षक भी है।"

धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ाई जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात्—

"(२) राज्य सरकार एक या अधिक कारागार उप महानिरीक्षक नियुक्त कर सकती है, और वे इस अधिनियम के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महानिरीक्षक के ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन उन्हें सौंपे जायें।"

समझा जाना और वैधीकरण

४—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी—

(क) प्रत्येक कारागार उप महानिरीक्षक, पद तथा प्रास्थिति में कारागार अधीक्षक से श्रेष्ठ समझा जायगा और सदैव से ही उससे श्रेष्ठ रहा हुआ समझा जायगा;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा की गई कारागार उप महानिरीक्षक की सभी नियुक्तियां, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी और सदैव से की गई समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों;

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी कारागार उप महानिरीक्षक द्वारा जेल मैनुअल, उत्तर प्रदेश के पैरा ९५०-ए के उपबन्धों के आधार पर किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य या कार्यवाही को इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित अधिनियम के उपबन्धों के साथ पठित उक्त पैरा के आधार पर किया गया कार्य अथवा की गई कार्यवाही समझा जायगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों;

(घ) उत्तर प्रदेश डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल) रूल्स, १९४७, के अधीन संघटित किसी ट्राइब्यूनल की ऐसी सभी कार्यवाहियां जिसमें कारागार उप महानिरीक्षक असेसर के रूप में आमेलित किया गया, उसी प्रकार वैध और सदैव से वैध रही समझी जाएगी जैसे वे होती मानो इस अधिनियम के उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस धारा का खण्ड (क) भी है, सदैव प्रवृत्त रहे हों; और

(ङ) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य अथवा ऐसी कोई बात या कार्यवाही को केवल इसी कारण न तो अवैध समझा जायगा और न कभी अवैध रहा समझा जायगा कि मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध में महानिरीक्षक के कृत्यों, प्रास्थिति या पद को निर्धारित नहीं किया गया था।

निरसन

५—प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६६, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९६६

मुख्य मंत्री।

उद्देश्य तथा कारण

प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४, में कारागार उप महानिरीक्षक के पद का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, यद्यपि ऐक्ट की धारा ५९ में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ-साथ कारागरों के प्रशासन और अधिकारियों की नियुक्ति भी है, कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। तद्नुसार राज्य सरकार ने नियम बनाये हैं जो जेल मैनुअल, उत्तर प्रदेश, में दिये गये हैं। जेल मैनुअल के पैरा ९५०-ए में यह व्यवस्था की गयी है कि कतिपय परिस्थितियों में उप महानिरीक्षक महानिरीक्षक के कृत्यों का संपादन कर सकता है। चूंकि प्रिजन्स ऐक्ट में कारागार उपमहानिरीक्षक के पद का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, यह वांछनीय है कि इस सम्बन्ध में और तद्नुसार उन सभी पिछले कार्यों और कार्यवाहियों को जिसमें किसी भी उप महानिरीक्षक ने भाग लिया हो वैध करने के लिए निश्चित उपबन्ध बनाए जायें।

तद्नुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मन्त्री।

बी० एस० यू० पी० ए० पी० ११६ एल० ए०—१९६६—८४६।